The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Setting up of Agarwood Board of India

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, we missed you.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (राजस्थान): सर, हम सबने आपको बड़ा मिस किया। ...(**व्यवधान**)... आप इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम सबने आपको बड़ा मिस किया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मैंने सबसे पहले इधर ही ध्यान दिया।

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, we terribly missed you. We are so glad that you have come.

MR. CHAIRMAN: Private Members' Resolution.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I have a point of order. This is Rule 165, page No.50. This is about Private Members' Resolution. Rule 165, Repetition of resolution, says, "When a resolution has been moved no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within one year from the date of the moving of the earlier resolution." In this regard, the Resolution listed at No.1 today was raised in May, 2022 by hon. Member, Shri Rakesh Sinha. On that Resolution, hon. Minister has also given the reply as to the stand of the Government. I do not really know how it is getting listed here, whereas there is another important resolution to discuss about the reservation of women in various Assemblies and the Parliament. It is listed at No.5 now. It was initiated by our Chief Minister, hon. Naveen Patnaik. But I don't get a chance to discuss this Resolution anymore because of these repetitions.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your point is well taken.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, in fact, the reference being made by the hon. Member is to a Private Member's Bill. That was a Bill. This is a Resolution. So, there is a difference between a Bill and a Resolution, going by the records of the House.

DR. JOHN BRITTAS: The Bill was moved by Shri Rakesh Sinha.

MR. CHAIRMAN: I will examine all aspects. Points have been noted.

Shri Harnath Singh Yadav, to move a Resolution urging the Government, *inter alia,* to formulate a stringent policy and laws to overcome the crisis arisen due to the rise in population. Not present.

Private Member's Resolution No.2, Shri Biplab Kumar Deb, to move a Resolution urging the Government, *inter alia,* to set up Agarwood Board of India and support it; promote scientific efforts for increasing production and productivity of Agarwood; provide adequate welfare measures for Agarwood cultivators; support research and development and provide incentives to young entrepreneurs for holistic development of Agarwood sector.

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ :-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि :-

(i) अगरवुड (एक्विलेरिया मालासेनसिस) की सतत खेती और संवर्धन तथा इसके उत्पादों से देश के किसानों का, विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, महत्वपूर्ण आर्थिक सशक्तिकरण हो सकता है;

(ii) अकेले त्रिपुरा राज्य में अगरवुड की क्षमता का इष्टतम दोहन करने से 20 अरब रुपये का उद्योग बनाकर और राज्य की राजधानी अगरतला को देश में अगरवुड की राजधानी बनाकर 'आर्थिक क्रांति' लाने की क्षमता विकसित होती है; तथा

(iii) प्रबंधन और विकास के लिए कम इनपुट, साइट विशिष्टता की कमी और अंतर-फसल अनुकूलन जैसे अनुकूल कारक अगरवुड को, विशेष रूप से त्रिपुरा जैसे राज्यों में, पसंदीदा नकदी फसल बना सकते हैं जहां अगरवुड भूमि के लिए काफी अनुकूल है,

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह -

(क) अगरतला, त्रिपुरा में अपने मुख्यालय के साथ अगरवुड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय अगरवुड बोर्ड की स्थापना करे;

(ख) मुद्दों की पहचान करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अगरवुड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सहयोग से काम करने के लिए संघ और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाए;

(ग) इस क्षेत्र के संवर्धन के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए बोर्ड को अपेक्षित समर्थन की उपलब्धता सुनिश्चित करे, उत्पादकों के लिए अगरवुड उगाना और कटाई करना आसान बनाने के लिए नीतियां निर्धारित करे और अगरवुड के औद्योगिक उपयोग को प्रोत्साहित करे;

(घ) वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) और भारत सरकार की निर्यात-आयात नीति की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, अगरवुड की गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा दे;

(ङ) अगरवुड की खेती करने वालों, अगरवुड आधारित उत्पादों के उत्पादन में लगे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और एमएसएमई इकाइयों के श्रमिकों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपायों का उपबंध करे;

(च) देश में अगरवुड क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य को सहायता प्रदान करे; और

(छ) भारत को विश्व की निर्यात महाशक्ति बनाने के लिए युवा उद्यमियों को अगरवुड और उसके उत्पादों से संबंधित नवाचार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करे।"

सभापति महोदय, मेरे द्वारा जो रेज़ोल्यूशन लाया गया है, वह अगरवुड के ऊपर है। हो सकता है कि इसके बारे में इस हाउस के बहुत कम लोगों को जानकारी हो। यह भारत की इकोनॉमी को सशक्त करने में बहुत मददगार हो सकता है। मैं इस सदन में इस विषय को विस्तार से रखना चाहता हूँ।

(उपसभापति महोदय *पीठासीन हुए।***)**

महोदय, अगरवुड के जो पौधे हैं, ये बहुत महँगे पौधे हैं और ये त्रिपुरा, असम और कर्णाटक के एक भाग में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसकी गुणवत्ता और कमर्शियल वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। अगरवुड के पौधे सात से आठ साल में मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद उसको इंजेक्ट करने के दो-तीन साल के बाद इसमें फंगस आती है, चिप्स आते हैं और इससे जो तेल निकलता है, उसकी मार्केट में मिनिमम वैल्यू 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए प्रति लीटर है। चूँकि इसका तेल सोने से भी महंगा है, इसलिए इसको सोने का तेल माना जाता है। इसमें कृत्रिम रूप से इंजेक्ट करने के बाद इससे जो तेल निकलता है, वह 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए प्रति लीटर होता है। अगर इसको कृत्रिम रूप से नहीं निकाला जाता है, सिर्फ इंजेक्ट करके छोड़ दिया जाता है, तो उससे जो तेल निकलता है, वह प्योर होता है और वह कम से कम 75 लाख रुपए प्रति लीटर बिकता है। त्रिपुरा में बड़ी मात्रा में अगरवुड के पेड़ हैं।

वहाँ पर इसके एक करोड़, पच्चीस लाख के आस-पास मैच्योर पौधे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर 'अगर मिशन' बनाया। इसके ऊपर फॉरेस्ट विभाग के बहुत सारे एक्ट्स लगे हुए थे। हम लोगों ने इनको हटाया। त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की ज्यादा जगह नहीं होती है। वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। वहाँ चाय और रबड़ के उद्योग हैं। यह एक ऐसा सेक्टर है, जिससे अगले दो साल में असम, विशेष करके त्रिपुरा और कर्णाटक का एक भाग, दो से ढाई हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी भारत सरकार को दे सकता है। अब यह सवाल उठ सकता है कि जब यह इतनी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, तो यह होता क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि पहले जब पुरानी सरकार थी, तब इसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी थी। इसको थाईलैंड, लाओस से लाया जा सकता है, यहाँ पर उस तेल से इत्र बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं और इसको बना कर इसको मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज़ में बेच सकते हैं। यह परफ्यूम में लगता है, इसलिए यह त्रिपुरा, असम से अवैध तरीके से मुम्बई तक पहुँचता है और वहाँ से प्रोसेस होकर यह गल्फ कंट्रीज़, दुबई आदि में चला जाता है। चूँकि इसके लिए अवैध तरीके से पैसा जाता है, इसलिए इससे भारत सरकार को सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके अंदर कम से कम पाँच हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी बनने की ताकत है।

महोदय, मैंने त्रिपुरा सरकार में रहते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। इस सदन के लीडर, कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी और भूपेन्द्र यादव जी, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, इन दोनों के माध्यम से पहली बार 25 हजार मीट्रिक टन अगरवुड एक्सपोर्ट करने की पहली परमिशन दी गई है। मैंने 21 दिसम्बर को पत्र लिखा था और भारत सरकार ने 3 जनवरी को यह परमिशन दी।

महोदय, अब दस महीने हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन हम एक ग्राम अगरवुड भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। इसके कारण क्या हैं? सदन को समझ में आ रहा है कि इसमें अवैध तरीके की बहुत बड़ी इकोनॉमी रुकावट डालती है, तभी तो यह दस महीने में भी नहीं हो रहा है। इस अगरवुड को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, वह इतनी कठिन पद्धति बनाकर रखी है कि करना ही मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह कोई स्पेशल कमिटी बनाए। भारत सरकार के चाहने के बावजूद, जब 3 जनवरी, 2022 को मंत्री जी ने लेटर भेज दिया है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो उसके बाद भी यह काम क्यों नहीं हो रहा है? इसकी प्रोसेसिंग में इतनी कठिनाई क्यों? हमने त्रिपुरा सरकार की तरफ से लाओस और थाईलैंड में एक टीम भेजी थी। लाओस में 'अगर' के बहुत पौधे होते हैं और उनकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, इनकी मूल इनकम वही है। उन्होंने इसे एक्सपोर्ट करने के लिए जो तरीका अपनाया है, जो सिस्टम बनाया है, उसी सिस्टम को भारत सरकार भी फॉलो करे, तो हमारे देश की इकोनॉमी में बड़ी मात्रा में लाभ होगा।

महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अगरवुड से सिर्फ तेल निकाला जाता है, यह यहीं खत्म नहीं है, बल्कि जो इसके पत्ते हैं, उन्हें भी बॉइल किया जाता है। इस पानी में इम्यूनिटी पावर होती है, मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसलिए इसकी एक बॉटल 200 रुपये में बिकती है, मतलब इसका

पानी भी 400 रुपये लीटर बिकता है। जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसकी वजह से यह लाओस वगैरह से अमेरिकन कंट्रीज़ में भी लिया जाता है और उसे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इसे चाइना, जापान और कोरिया की मेडिसिनल फैक्ट्रीज़ में भी बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। चाहे 'अगर' की लकड़ी हो, चाहे उसका तेल हो, चाहे उसकी चिप्स हो, इनके साथ-साथ, जो उसकी रूट है, वह भी बिकती है, क्योंकि उसकी रूट को सुखाने के बाद गल्फ कंट्रीज़ के लोग उसे अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। उससे जो हल्की-हल्की खुशबू आती है, उनके यहाँ उसे रॉयल माना जाता है। उसका कोई रेट भी नहीं होता है। इंडियन करेंसी में उसकी ऑक्शन मिनिमम पाँच लाख से शुरू होता है और यह पाँच करोड़ भी हो सकता है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह से देखें, तो चाहे अगरवुड की लकड़ी हो, चाहे पत्ता हो, चाहे रूट हो, जैसे गाय की हर चीज़ काम आती है, वैसे ही 'अगर' ऐसा पौधा है, जिसका सब कुछ बिक सकता है, सब कुछ काम में आ सकता है, किंतु इसके लिए कोई सही सिस्टम नहीं बना हुआ है। अभी त्रिपुरा सरकार ने 'अगर मिशन' बनाया था, मैंने आपके सामने भी प्रस्तुत किया था। 'अगर मिशन' बनाने के बावजूद भी, भारत सरकार के चाहने के बावजूद भी, इसमें दस महीने से समस्या खड़ी करके रखी गई है। मैं आपके सामने यह भी रखना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो अलग-अलग बोर्ड बने हुए हैं, जैसे चाय का बोर्ड है, उसका 30,000 करोड़ का टर्नओवर है, कॉफी बोर्ड है, उसका 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, रबर बोर्ड है, उसका 12,000 करोड़ का टर्नओवर है, स्पाइस बोर्ड है, उसका 21,500 करोड़ का टर्नओवर है और जो 'अगर' है, वह अगले दो से ढाई साल में दो से तीन हजार करोड़ की इकोनॉमी हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यह भी चाहता हूँ कि जब चाय बोर्ड हो सकता है, रबर बोर्ड हो सकता है, स्पाइस बोर्ड हो सकता है, तो 'अगर' का भी बोर्ड बनाएं। यह जो प्रॉब्लम आ रही है, इससे उसका भी बहुत जल्द समाधान हो सकता है और बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बात भी रखना चाहता हूँ कि अगरबत्ती में भी बड़ी मात्रा में अगर को यूज़ किया जाता है, तो अगरबत्ती के लिए भी यह एक रॉ मैटीरियल हो सकता है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने हमारे कुटीर शिल्प को बढ़ावा देने के लिए चाइना से अगरबत्ती की जो स्टिक आती थी, उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगाई, जिसके कारण हमारे जनजातीय भाई लोग, जो बैम्बू के माध्यम से अपनी जीविका-पालन करते हैं, उनके लिए एक रास्ता खुला। एक समय त्रिपुरा में अगरबत्ती के लिए चाइना से जो 29,000 मीट्रिक टन बैम्बू स्टिक आती थी, वह अब लगभग बन्द हो गयी। आज असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम, जिस-जिस राज्य में बैम्बू बड़ी मात्रा में है, वहाँ दोबारा अगरबत्ती स्टिक बननी शुरू हुई और वहाँ इसकी फैक्टरी चालू हुई। इस प्रकार, उसमें भी बड़ी मात्रा में अगर को यूज़ किया जा सकता है और हम अगरबत्ती का एक बड़ा बाज़ार एस्टैब्लिश कर सकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बात भी रखना चाहता हूँ कि इस अगरवुड की जो मेडिसिनल वैल्यू है, इसकी जो इम्युनिटी पावर है, वह मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। साथ ही साथ, रबड़ प्लांटेशन से भी ज्यादा लाभदायक अगर की प्लांटेशन है। त्रिपुरा सरकार ने अभी बड़ी मात्रा में अगर की प्लांटेशन शुरू की है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन

करूँगा कि जहाँ-जहाँ भी अगर प्लांटेशन का क्लाइमेट है, वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से विवेचना कराकर अगर के पौधे लगाए जाएँ, उसका बाज़ार बनाया जाए, ताकि उसमें भारत के नौजवानों को भी रोज़गार मिले। माननीय प्रधान मंत्री जी भी चाहते हैं कि अपने देश में ही रोज़गार बढ़े और वह रोज़गार बहुत जल्दी पैदा हो। मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक प्राइमरी सेक्टर है। जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं तो उसमें चार साल, पाँच साल, छः साल और 10 साल लगते हैं, किन्तु यह एक ऐसा प्राइमरी सेक्टर है, जो आपको अगले छः महीने के अंदर ही रोज़गार दे देगा। स्वाभाविक तौर पर हमारे नौजवानों को उस चीज़ की दिशा में जाना चाहिए, जो चीज़ हमारे पास है, जो जल्दी रोज़गार दे सकती है और अगर ऐसा ही एक सेक्टर है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए एक बोर्ड बना दिया जाए। इसके साथ ही, इसके एक्सपोर्ट करने की नियमावली में शिथिलता लाई जाए, उसका सहजीकरण किया जाए, ताकि इस सेक्टर में भारत के नौजवानों को बड़ी मात्रा में रोज़गार मिलने का रास्ता खुले। इसका लम्बे समय से जो अवैध तरीके से व्यापार किया जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगाए जाने की एक सटीक व्यवस्था की जाए। भारत सरकार को इसके माध्यम से रेवेन्यू मिले, इस दृष्टि से मैंने इस विषय को आपके सामने रखा है।

महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन में जो भी माननीय सदस्य हैं, वे सब लोग इसके ऊपर अपनी राय रखेंगे। इसको सही ढंग से और कैसे किया जा सकता है, इसकी और भी रूपरेखा इस हाउस के माननीय सदस्यों के माध्यम से हमें मिलेगी, यह आशा करते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Rakesh Sinha; not present. Shri Pabitra Margherita.

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): Thank you, Sir. I support the Resolution moved by hon. Member Shri Biplab Kumar Deb for sustainable cultivation and promotion of Agarwood, the scientific name of which is Aquilaria Malaccensis.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair.*]

I do agree with the hon. Member that it will lead to a significant economic empowerment of the farmers, especially in the North-Eastern region of India.

Hon. Members do know it that agarwood is a very valuable tree like sandalwood tree. It can be cultivated in tropical humid climatic conditions. When insects attack a matured agar tree, it gets infected with fungus and from the fungus-infected wood, chips

and later oil can be produced. I am told that the cost of per kilo litre agar oil costs from Rs.10 lakh to Rs.40 lakh. Depending upon the source of origin and quality of oil, it costs from Rs.10 lakh to Rs.40 lakh per litre. At the same time, the chips which are produced from agarwood cost around one lakh rupees per kilogram. I am just told that this is its present market price per kilogram. I am lucky enough that, as Shri Biplab Kumar Deb has said, it is mainly produced in Assam. I very proudly say this about Assam, Tripura, Nagaland and other States of the North-Eastern Region, including Sikkim. Karnataka is also there. Let me say a few words about agar tree. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He is a new Member.

SHRI PABITRA MARGHERITA: Agar oil, agarwood chips, and perfume made out of it are in high demand in Middle East countries. These are in high demand in ASEAN countries also. Traditionally, the people in the Middle East like it. That is why these products are in high demand. Keeping this in mind, my appeal to the Government is that there should be an apex body to monitor, govern and empower the agar cultivators and its cultivation. There should be R&D in this area. We need to explore new area with proper soil testing where its cultivation is feasible. There should be grants-in-aid and subsidy to farmers. We need to encourage Self-Help Groups and cooperative societies. It needs insurance. We need to patronise agar-based industries. It needs market linkage. We have seen it in our local area that some brokers exploit cultivators. There should be proper market linkages and single-window clearance where all the documents and official work can be completed.

Lastly, I would like to thank my State Government led by Dr. Himanta Biswa Sarma. Recently, this Government has taken a path-breaking decision to empower and encourage commercial cultivation of agar and other associate woods. About Assam, I am very proud to say this. A huge population of more than one crore agar trees on non-forest land has been grown there. This is done by private individuals. There are about 1,000 agarwood-based industries in Assam. It is almost like a capital of agarwood industry. Two particular decisions have been taken by the Assam Cabinet. It cleared two game-changing rules, namely the Assam Trees Outside Forest (Sustainable Management) Rules, 2022 and Assam Wood Based Industries (Promotion and Development) Rules, 2022. This initiative of our State Government has encouraged commercial cultivation of agarwood. This is an encouragement which has been initiated

by the State Government under the guidance and cooperation of the Central Government led by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the leadership of Shri Bhupender Yadav. *...(Interruptions)...* I am told CITES has limited the maximum quantum of supply of agar oil. Maybe it is a statement that I have read which says that maximum 75,000 kilo litre is permitted by CITES to export from India. So, that particular maximum limit should not be there. At last, again, appreciating the moves by our Central Government and the Government of Assam, I would say, with these initiatives, it is expected that Agarwood tree population will reach five crore in 2026 in Assam. Presently, the population of Agarwood tree is approximately one crore and by 2026, it will reach five crore. The production of Agarwood will reach two lakh kilograms and the production of Agarwood oil will reach one lakh litres. So, it is expected that there may be trade to the tune of Rs.7,500 crore to Rs.10,000 crore. As said by Shri Biplab Kumar Deb, Tea Board and Coffee Board are doing very good business; they are providing service to the stakeholders. There should be one other board which will cater services to Agarwood cultivators because only in Assam the potentiality of Agarwood cultivation is more than Rs.10,000 crore. Target set by the State Government is Rs.10,000 crore by 2026. So, for this, I think the Central Government should extend support -- it has already extended -- in a very systematic manner, making an apex body to cater to all the things which we have mentioned and my friend, Shri Biplab Kumar Deb, has mentioned. So, we appeal once again that it may be made. It may be in Tripura or Assam or Nagaland or any State where Agarwood has been commercially cultivated by people for a few decades. So, this is our appeal and I do support the Resolution moved by my respected colleague, Shri Biplab Kumar Deb. Thank you.

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री बिलप्ब देब जी ने सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया है, जिस विषय को उन्होंने सदन में उठाया है, वह विषय आंचलिक है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों का यह उत्पाद है और उससे जुड़ी हुई बातें उन्होंने अपने संकल्प में प्रस्तुत की हैं। प्रमुख रूप से उनकी एक मांग है कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है, उस अगरतला को अगरवुड के उत्पादन व्यापार की दृष्टि से अगरवुड राजधानी घोषित किया जाए और अगरवुड के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाए, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत हो। फिर उन्होंने इस बोर्ड के कामों के संदर्भ में चर्चा की है कि बोर्ड क्या-क्या काम करे, जिससे कि अगरवुड के व्यापार में लगे हुए सभी पक्षों को लाभ हो। उन्होंने अगरवुड की विशेषता के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा है कि यह उत्पाद कितना महत्वपूर्ण है। इस उत्पाद के माध्यम से इस देश में लगभग पांच हज़ार करोड़ रुपये का व्यापार होता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। संयोग से इसके विनिमय के

लिए, इसके उत्पादन के लिए जो नियम प्रक्रिया की जटिलता है, उस जटिलता के कारण यह उत्पाद भारत की अर्थव्यवस्था में अपेक्षित योगदान नहीं कर पा रहा है।

3.00 P.M.

इसका बहुत बड़ा हिस्सा मुम्बई के रास्ते सेन्ट्रल एशिया के देशों में अवैध रूप से जाता है, इसकी कालाबाजारी होती है, इसकी चोरी होती है। इसके कारण इस उत्पाद से जुड़े हुए जो विभिन्न स्टेकहोल्डर्स हैं, उनको तो लाभ नहीं मिलता, लेकिन जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो स्मग्लिंग करने वाले लोग हैं, वे इसकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हजम कर जाते हैं। उन्होंने नियम प्रक्रिया के सरलीकरण की बात की है। अगर नियम प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाता है, उसकी जटिलता समाप्त हो जाती है, तो सच्चे और सही अर्थों में इसका लाभ त्रिपुरावासियों को मिलेगा और त्रिपुरा और असम, जिसकी चर्चा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने की है, इन सभी प्रांतों में अगरवुड के उत्पाद से जुड़े हुए जो कृषक और श्रमिक हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात इस संकल्प के प्रवर्तक महोदय ने कही है कि स्वयं सहायता समूह को इस उत्पाद के साथ जोड़ा जाए और हमारे प्रधान मंत्री जी की भी यह इच्छा है। हम लोग जब बजट पर चर्चा करते हैं, तो अकसर इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि हमारे स्वयं सहायता समूहों का जो आर्थिक प्रदर्शन है, वह पूरे देश में बहुत उत्तम है। बड़े-बड़े लोग जिनके बड़े-बड़े नाम हैं, देश के बैंकों से बहुत बड़ी-बड़ी राशियां लेकर चले गए, हजम कर गए, लेकिन हमारी ये गरीब महिलाएं, जो गांवों में काम करती हैं, मेहनत करती हैं, वे अपना थोड़ा सा समय निकालकर स्वयं सहायता समूहों के लिए भी काम करती हैं। जब स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट आया था, तब यह मान्यता थी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी गरीब बहनों को अपनी छोटी-मोटी आवश्यकताओं के लिए कुछ अतिरिक्त काम करके नकद राशि उपलब्ध हो जाए, लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों ने इतना अच्छा काम किया कि आज भारत की इकोनॉमी में भी उनका एक अच्छा खासा योगदान हो गया है और हर राज्य में उनकी सफलता की कहानियां हम लोग दोहराते और गाते हैं। ऐसी ही स्वयं सहायता समूह की बहनें इस अगरवुड के उत्पाद से भी जुड़ी हुई हैं और अगरवुड के उत्पाद से जुड़कर उनकी भी आर्थिक उन्नति हो रही है। अब इस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए उनको मदद की आवश्यकता है। इसके लिए उनको आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है और जो उत्पाद वे तैयार करें, उसके विपणन के लिए भी उनको मदद की आवश्यकता है। उनको इसकी मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए भी मदद की आवश्यकता है। अगर यह सिस्टम सरकार ने ठीक तरीके से बना लिया, तो इस अगरवुड के व्यापार से बड़े-बड़े स्मग्लर्स को जो लाभ मिल रहा है, इस लाभ का अंश सीधे उन स्वयं सहायता समूह की बहनों को प्राप्त होगा और तेजी से उनकी आर्थिक उन्नति होगी और आर्थिक समृद्धि आएगी। इसमें प्रवर्तक महोदय ने यह भी मांग की है स्वयं सहायता समूह की बहनें, जो इस कार्य में लगी हुई हैं, उनके लिए कल्याणकारी उपबंध किए जाएं। वैसे तो भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से मेरा विश्वास है कि इन बहनों को मदद मिलती होगी, लेकिन उसके बाद भी

अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है, कहीं ऐसी समस्या है कि बहनें उन लाभों से वंचित हैं, तो उनके बारे में निश्चित रूप से अलग से विचार करना चाहिए। मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करता हूं। मध्य प्रदेश में जो हमारे कर्मकार मंडल के लोग हैं, जो मजदूर घर निर्माण में काम करते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, एक कर्मकार मंडल बनाया है, उस कर्मकार मंडल के अंतर्गत उन सारे मजदूरों का पंजीयन होता है। पंजीयन होने के पश्चात् अगर उस मजदूर के घर में उसकी बिटिया की शादी होनी है, तो सरकार उसकी मदद करती है, उस मजदूर के घर में अगर किसी को बीमारी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए सरकार मदद करती है। उस मजदूर के घर के बच्चे अगर पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो सरकार मदद करती है, अगर उस मजदूर की एक्सिडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो सरकार चार लाख रुपये उसके परिवार को देती है, अगर स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो गई, तो सरकार उसके परिवार को दो लाख रुपये की सहायता देती है। ऐसी योजना अन्य प्रांतों में भी होगी। इसी तरीके की योजना अगर त्रिपुरा राज्य में नहीं है, तो हमारे इन स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है। इससे न केवल उनके परिवार का कल्याण हो सकेगा, बल्कि उनके लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था हो सकेगी, उनके स्वास्थ्य की चिंता की जा सकेगी, उनके लिए आवास की चिंता की जा सकेगी, उनके लिए बिजली की चिंता की जा सकेगी। यह बात माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में कही है, तो इसको स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। उन्होंने अगरवुड उद्योग के एक पहलू की चर्चा की है कि अगरबत्ती में भी इसका उपयोग होता है। हम देखते हैं कि अगरबत्ती का जो अधिकांश उत्पादन होता है, उसकी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से यह एक कुटीर उद्योग है। हमारे मध्य प्रदेश में जैसे बीड़ी का उद्योग है, तेन्दु पत्ता का उद्योग है कि घर-घर में जो लोग हैं, वे अपना सब काम करने के बाद जो थोड़ा-बहुत समय बचता है, उसमें बीड़ी बनाने का काम किया करते हैं। इसी तरीके से यह जो अगरबत्ती का उद्योग है, यह भी कुटीर उद्योग है। इस कुटीर उद्योग के माध्यम से त्रिपुरा की एक बहुत बड़ी आबादी, जो गरीब है, जिनके पास शायद काम का अभाव है या काम है, तो भी वे अतिरिक्त समय लगाकर इस कुटीर उद्योग से जुड़कर अपनी अतिरिक्त आय को अर्जित कर सकते हैं। इस कुटीर उद्योग का समर्थन करने के लिए, इस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जब हम एमएसएमई की योजनाओं की चर्चा करते हैं, कुटीर उद्योगों की चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे सरकार के प्रावधान हैं। कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए, कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें चर्चा की गई है। इसलिए यह भी बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे बिप्लब कुमार देब जी ने बताया है कि यह एक निर्यात का भी उद्योग बन सकता है।

महोदय, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों के बीच में चर्चा हुई थी कि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और भारत का जो निर्यात बढ़ रहा है, उस निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एमएसएमई का और कुटीर उद्योगों का है। अगर हम अगरवुड के इस व्यापार को विशेष रूप से कुछ सहयोग प्रदान करते हैं, इसकी चिंता करते हैं, तो उस निर्यात में अगरवुड के व्यापार का, अगरवुड के माध्यम से जो

कुटीर इंडस्ट्री खड़ी होगी, उसका भी योगदान होगा और उसके माध्यम से विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सहयोग करेगी।

अगरवुड के उत्पाद में जो किसान लगे हुए हैं, मेरा अनुभव है कि जो वन उत्पाद होता है, उसमें एक बड़ी समस्या होती है। उसमें एक समस्या यह होती है कि किसान पेड़ क्यों नहीं लगाता है? हम पेड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन नियम, प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हमने पेड़ लगाया, हमने उसका पालन-पोषण किया, पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन जब पेड़ को काटने का नम्बर आता है, उसका फल भोगने का नम्बर आता है, उसकी लकड़ी का उपयोग करने का समय आता है, तो जंगल विभाग डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। उस समय पचास तरीके की रिस्ट्रिक्शन्स आती हैं, पचास तरह की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। कहीं परिवहन की अनुमति के लिए हमें फॉरेस्ट ऑफिसर के पीछे-पीछे दौड़ना पड़ता है, तो इस तरह की नियम, कानूनों की जो जटिलता है, इसके कारण किसान हतोत्साहित होता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वन विभाग के विभिन्न नियम-कानूनों की जो जटिलताएं हैं, इनका सरलीकरण किया जाए। आप इनका न केवल सरलीकरण करिए, बल्कि आर्थिक रूप से भी इनकी मदद करिए।

किसानों की जो अधिक से अधिक बंजर भूमि है, नाक़ाबिल भूमि है, जो काश्त के क़ाबिल नहीं है, यदि उस सारी भूमि पर इस तरीके के उत्पाद लगाएंगे, तो किसानों को भी लाभ मिलेगा और एक अच्छी-खासी इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। जिस तरीके से हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने किसानों के लिए 'कुसुम योजना' के तहत व्यवस्था की है कि किसानों की जो बंजर भूमि है, वह बंजर भूमि खाली पड़ी रहती है, उस पर कुछ नहीं करते, इसलिए आप उसमें सौर ऊर्जा की प्लेटें स्थापित कीजिए। इसके माध्यम से आपको न केवल बिजली मिलेगी, बल्कि बिजली के साथ-साथ आपको कुछ अतिरिक्त आमदनी भी होगी। यदि आप अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं, तो सरकार आपसे वह बिजली खरीद रही है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि आज लोगों के पास सरप्लस बिजली है। वे उससे अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, उसके बाद वह बिजली सरकार को बेच रहे हैं और इसके माध्यम से उन्हें आमदनी भी हो रही है। ठीक इसी तरीके से यदि हम अगरवुड के उत्पादन में भी प्रयोग कर सकते हैं कि जो बंजर भूमि है, नाक़ाबिल काश्त भूमि है, जो खेतों की मेंढ़ें हैं, वहाँ पर यदि इस अगरवुड का उत्पादन करें, तो उस उत्पादन के माध्यम से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और हमारा जो उद्योग है, उस उद्योग की जो व्याप्ति है, वह व्याप्ति भी बढ़ेगी, उसका आकार भी बढ़ेगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी हम जो किसान सम्मान निधि देते हैं, उस किसान सम्मान निधि में जो कृषि उत्पादक हैं, उनके लिए यह व्याख्या की गई है कि हम कौन-कौन सी फसलों के लिए किसान सम्मान निधि देंगे। जब हम किसान सम्मान निधि देते हैं, तो जो गेहूँ का उत्पादक है, हम उसको किसान सम्मान निधि देते हैं, जो धान का उत्पादक है, हम उसको भी देते हैं, जो दलहन उगाते हैं, उनको भी देते हैं, जो तिलहन उगाते हैं, हम उनको भी यह देते हैं, लेकिन जो ऐसी वनोपज पैदा करते हैं, जो पेड़ लगाते हैं, फल लगाते हैं, उनको नहीं देते हैं। महोदय, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूं कि जो पशु पालन से जुड़े हुए लोग हैं, जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो

मत्स्य पालन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, वे सारे के सारे लोग अभी भी किसान सम्मान निधि से बाहर हैं। महोदय, आप मत्स्य पालन को यह निधि मत दीजिए, पशु पालन को निधि मत दीजिए - वह भी चलेगा।..**(व्यवधान)**..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : हम अगरवुड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं।

श्री अजय प्रताप सिंह : जो वनोपज के उत्पाद से जुड़े हुए हैं, जो पेड़ों के उत्पाद से जुड़े हुए हैं, जो बाग़वानी कर रहे हैं, हमें उन सभी लोगों को किसान सम्मान निधि के दायरे में लाना चाहिए। किसान सम्मान निधि के दायरे में आने के कारण..**(व्यवधान)**..

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): One minute.

SHRI VAIKO: Sir, I want to appeal and make a request to the Members of the Treasury Benches to give an opportunity for Members like me who speak very, very rarely. This is a request, humble request; that is all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): All right. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Sir, they have agreed. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Request noted. Let him finish. ...*(Interruptions)*... Mr. Vaiko, let him finish. Your request is noted.

श्री अजय प्रताप सिंह : किसान सम्मान निधि के दायरे में आने से भी इस व्यापार को, इस उद्योग को बल मिलेगा और वहाँ के लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस व्यापार को करने के लिए जो आवश्यक रॉ मैटीरियल है, उसकी प्रचुरता भी यहाँ पर स्थापित होगी।

महोदय, हमारे इस संकल्प के प्रवर्तक ने एक विषय और उठाया है कि बोर्ड काम क्या करेगा? महोदय, उस बोर्ड के काम करने के लिए उन्होंने जो प्रमुख रूप से बात कही है, वह यह है कि कि बोर्ड के मार्गदर्शन में, बोर्ड के तत्वावधान में अगरवुड को लेकर अनुसंधान भी किए जाएं, तो बेहतर होगा। महोदय, ये अनुसंधान बहुत आवश्यक हैं और ये आवश्यक इसलिए हैं, क्योंकि जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे हर विषय पर अनुसंधान हो रहा है एवं बेहतर से बेहतर करने के लिए भी अनुसंधानों का उपयोग होता है। यदि उन्होंने अगरवुड के लिए भी अनुसंधान की मांग की है,

इसके प्रोविज़न करने की बात कही है और उस प्रोविज़न को करने के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की मांग की है तो यह कोई अनुचित बात नहीं है, बल्कि उचित बात है। मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि यदि हमें अगरवुड के उद्योग को प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें इसके अनुसंधान पर निश्चित रूप से बल देना चाहिए और अनुसंधान केंद्र स्थापित करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : अजय प्रताप जी, अगर आपकी बात हो गयी है तो अन्य स्पीकर्स भी हैं।...**(व्यवधान)...**

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH) *in the Chair*.]

श्री अजय प्रताप सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए दो-तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वहां सड़क की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है और पानी की जरूरत होती है। इस व्यापार को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इसके लिए जो सिंचाई की व्यवस्था है, इस सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी हमें बल देना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था के साथ-साथ सिंचाई की व्यवस्था को ठीक तरह से संधारित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, उसके लिए भी हमें बल देना चाहिए। इस उत्पाद को हम ठीक तरह से मंडी तक ला सकें, मंडी में उन्हें उसका ठीक तरीके से मूल्य प्राप्त हो सके। जैसा कि हमारे असम के साथी ने बताया कि यह कितना महंगा उत्पाद है। यह 10 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये लीटर है तो आप समझ सकते हैं - सब की धारणा यह है कि सोना और हीरा सबसे महंगा होता है, लेकिन यह सोने और हीरे से भी ज्यादा महंगा है- इसलिए इस उत्पाद को केवल मंडी लाने तक ही नहीं, इसके विपणन की, इसकी सुरक्षा के सारे पहलुओं पर भी ध्यान देने के लिए इस संकल्प में अपेक्षा व्यक्त की गई है और मैं समझता हूं कि यह संकल्प बिल्कुल सामयिक है, मौज़ू है और वहां के लोगों के हित में है।

महोदय, मैं इस संकल्प के समर्थन में हूं और मैं इस संकल्प का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you. Now, the next speaker is Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I don't want to take part in this discussion, I just want to point out one thing. The mover of this Resolution was the Chief Minister of Tripura, a young man and an eminent politician. He could have submitted a memorandum to the Ministry concerned and this should have been easily made available. So, instead of doing that, I think... ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): As a Member, it is his right. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please, let him express his opinion. ...*(Interruptions)*... We will take a call. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): No, no. The point is... ...*(Interruptions)*... It is my right to speak now. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please, let him express his opinion. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: No, no. I am just trying to make an appeal. The point is that he could have submitted a memorandum and that way, this was very easily made available. ...*(Interruptions)*... No, whatever you say, I am not going to stop. ...*(Interruptions)*... I am coming to the point, please. The point is that the... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Shri Sandosh Kumar, if you don't want to speak on this Bill, please...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, don't take it that way. I just want to point out one thing. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Listen to him. Then, I will take a call.

SHRI SANDOSH KUMAR P: In fact, nobody is opposing these kind of boards. We have created a wonderful Spice Board once upon a time. And, what is the fate of this Spice Board of India? The farmers in Kerala are suffering like anything and this Government is insensitive towards the problems of farmers in Kerala and everyone. So, these people are... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He is expressing his opinion. ...*(Interruptions)*... Let him come to the subject. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Let me complete by saying this that they don't want to take up that issue, one of the most serious burning issues the country is facing with, that is, the federal structure of the country. So, this is just a delayed tactics. I request you not to allow these things.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Okay. That is your opinion. Please be seated. Thank you. Now, I request Mr. Rakesh Sinha to speak.

SHRI VAIKO: Sir, again I am making a small request to my friends from the Treasury Benches to allow me to put my Resolution. This is a very, very rare opportunity I get. Therefore, this is just a humble request. If you want, you can accommodate me.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Vaiko*ji*, you have already made your request. Let us check with the Members. Then we will go for that. Now, I request Shri Rakesh Sinha to go ahead.

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, बिप्लब देब जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे बुनियादी मुद्दे पर सदन का और राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया है, जो अब तक उपेक्षित था। हमारे जैसे अनेक लोग, जो राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए हैं, ऐसे विषय से अनभिज्ञ थे। साधारणतया डिवाइसिव इश्यू पर बहस करने की हमारी आदत हो गई है, जिसका निष्कर्ष इस राष्ट्र के लिए कुछ नहीं निकलता है, लेकिन जब रचनात्मक मुद्दे को उठाया जाता है, जिसमें हमारे भारत के सुदूर क्षेत्र में कृषि उत्पाद, किसान और सामान्य लोगों का हित होता है, तो हम उससे कतराना चाहते हैं, यह दुर्भाग्य की स्थिति है। अच्छा होता कि आज विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीरता से बहस करता। पूरा देश आज इस मुद्दे को जानना चाहता है, सुनना चाहता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगरवुड का क्या महत्व है, इस महत्व को हमारे मार्क्सवादी साथी ने, जब त्रिपुरा में उनकी सरकार थी, समझ लिया होता, तो आज बिप्लब देब जी को यह विषय राज्य सभा में नहीं लाना पड़ता। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि वे मुख्य मंत्री थे और इसका मेमोरैंडम अब पूर्व मुख्य मंत्री के रूप में, सदस्य के रूप में दे सकते थे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब वे वहाँ मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने 2021 में अगरवुड पॉलिसी लाने का काम किया था, जिसके लिए मैं त्रिपुरा की उस सरकार का और अपने पूर्व मुख्य मंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूँ। वाइको साहब, इस अगरवुड पॉलिसी को लाने के पीछे सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्गत किए थे, एलॉट किए थे। ये 100

करोड़ रुपए शहर में रहने वाले लोगों, महानगरों के लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन ट्राइबल्स के लिए निर्गत हुए थे, जो सदियों से, हजारों साल से अगरवुड से जुड़े हुए थे। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊँ, मैं अगरवुड का एक महत्व बताना चाहता हूँ। भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, वेद में इसका उल्लेख मिलता है। नॉर्थ-ईस्ट की एक खासियत है। चाहे आप मेघालय चले जाएँ या नागालैंड चले जाएँ या त्रिपुरा चले जाएँ, वृक्षों के साथ उनका संबंध सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। वहाँ के ट्राइबल्स अगरवुड को इसी सांस्कृतिक-आध्यात्मिक दायरे में देखते हैं। हम जितना भी भौतिकता से जुड़े रहे हों, लेकिन मैं उस ट्राइबल सेंटिमेंट की बात करना चाहता हूँ, जिसने सैकड़ों साल के औपनिवेशिक शासन के बावजूद इसी विकेन्द्रीकृत सांस्कृतिक-आध्यात्मिक अवधारणा के कारण औपनिवेशिक आक्रमण का सामना किया और अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। अगरवुड उसका एक प्रमाण है। इस सांस्कृतिक-आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए इस वृक्ष का एक आर्थिक महत्व है। महोदय, जब मैं इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की बात करता हूँ, तो जो लोग मेघालय गए होंगे, वे जानते होंगे कि मेघालय के फॉरेस्ट में सैक्रेड फॉरेस्ट की अवधारणा है। जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स या खासी हिल्स, जहां-जहां भी यह सैक्रेड फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा वह वहीं पर सुरक्षित और संवर्धित है। लेकिन आज किस तरह से इन वृक्षों को काटा जा रहा है! माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहा है, वह अपनी परम्परा, अपनी सांस्कृतिक अवधारणा से कर रहा है। आज बिप्लब देब जी जो संकल्प लाए हैं, मैं उसके आर्थिक पक्ष को बताना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**... अगरवुड 5 लाख रुपये किलो बिकता है। इस वृक्ष की एक और खासियत है, जिसको हम सभी को जानना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... इसको व्यंग्य और उलाहना देकर, हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सदन में बैठ कर यदि अगरवुड का मखौल उड़ा रहे हैं, इस विषय का मखौल उड़ा रहे हैं, तो हम नॉर्थ-ईस्ट के लोगों का मखौल उड़ा रहे हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान सिर्फ नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम का नहीं है, हिन्दुस्तान खासी हिल्स का भी है और हिन्दुस्तान त्रिपुरा के उन ट्राइबल्स का भी है। लोग मार्क्सवाद का नाम लेते हैं और ट्राइबल्स के मुद्दे पर इस तरह की बातें करते हैं! त्रिपुरा को उन्होंने किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था! मैं जो बात कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No crosstalk please.

श्री राकेश सिन्हा : मैं अगरवुड के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि उसमें एक बहुत बड़ी खासियत है। जो सामान्य वृक्ष होते हैं, उनमें हम नॉन-इन्फेक्टेड वृक्ष को चाहते हैं, हम ऐसे प्लांट्स चाहते हैं, जिनमें इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन अगरवुड जब तक नॉन-इन्फेक्टेड रहता है, तब तक वह हल्के पीले रंग का होता है और कम महत्व का होता है। लेकिन जब इस वृक्ष में इन्फेक्शन होता है, तो जैसे-जैसे वह इन्फेक्शन बढ़ता है, वैसे-वैसे अगरवुड में ब्लैक कलर आना शुरू हो जाता है और उसका वेट बढ़ने लगता है। ऐसी इन्फेक्टेड अगरवुड ही स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए अपना प्रोडक्ट

हमें देती है। दुनिया में यह ऐसा पहला वृक्ष है, जो इन्फेक्टेड होने के बाद अपने आर्थिक तत्व में पूरी तरह से उभर कर आता है, तब इसकी वुड 5 लाख रुपये किलो बिकती है। ...**(व्यवधान)**... मैं जानता हूं कि सरकारिया कमीशन से लेकर पुंछी कमीशन तक हम इस पर बहस करते रहे हैं और बहस करते रहेंगे, लेकिन जीवन से जुड़े हुए जो बुनियादी मुद्दे हैं...**(व्यवधान)**... हिन्दुस्तान का एक भी ट्राइबल अगर उपेक्षित या वंचित है और उसकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, तो कम से कम इस तरह हास्य की बात करने वाले लोग, सिर्फ नारेबाज़ी ही न करें, आप उनके जीवन मूल्यों से जुड़ें, उनके आर्थिक पक्ष से जुड़ें, उनकी बातों पर बहस करें, तभी इस सदन की महत्ता है, तभी इस सदन का गौरव है। ...**(व्यवधान)**... हल्की और राजनीतिक बातों पर बहस करना आसान होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अगरवुड पर आना चाहता हूं, त्रिपुरा सरकार ने 2025 तक अगरवुड के प्रोडक्शन को ठीक दोगुना करने का प्रस्ताव रखा था। हम इस अगरवुड के एक्सपोर्ट से 2,000 करोड़ रुपये का व्यापार करने वाले हैं। ...**(व्यवधान)**... मुझे प्रसन्नता है कि आपकी पार्टी के श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और इस बात के महत्व को समझ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष इन्वॉल्वड है। आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता से यह बात कहना चाहता हूं कि अगर एक भी ट्राइबल, जो इस अभियान से जुड़ा हुआ है, आज इस सदन की बहस को देख रहा होगा, तो उसके मन पर क्या बीत रही होगी? वह सोच रहा होगा कि यह सदन उनको रीप्रेज़ेंट करता है या सिर्फ महानगरों में रहने वाले लोगों को रीप्रेज़ेंट करता है? आज सदन को इस पर निर्णय करना पड़ेगा, इन बातों को आप हल्के में मत लीजिए, इस पर बहस कीजिए। अगर आप बहस नहीं कर सकते, तो जो लोग बोल रहे हैं, कम से कम उनको ध्यान से सुनिए। मैं भी विषय से डायवर्ट होकर उन सब बातों को बोल सकता हूं, जिन बातों की ओर आप इशारा कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अगरवुड की बात कर रहा था, असम के बाद त्रिपुरा ने इस पर कदम उठाया। पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे परफ्यूम बनती है, अगरबत्तियां बनती हैं, उनमें से अगरवुड दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट है। आप इस हिंदुस्तान की हालत देखिये, 2014 से पूर्व जो चीजें हमारे पास उपलब्ध थीं, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों से जुड़ी हुई थीं, वे हमारी नजरों के सामने नहीं थीं। त्रिपुरा में यदि मार्क्सवादी सरकार थी, तो अगरवुड पेपर पॉलिसी 2011-12 में भी आ सकती थी।...**(व्यवधान)**... हम 2021 में यह पॉलिसी लाये और इस पॉलिसी को सुनने की क्षमता आप में नहीं है, आप आम आदमी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, आप नारेबाजी में इस सदन का समय बिताना चाहते हैं, जिसे देश स्वीकार नहीं कर सकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please address the Chair, Rakeshji. ...*(Interruptions)*... Please address the Chair.

श्री राकेश सिन्हा : महोदय, 75 हजार किलोग्राम चिप्स और लगभग 1,500 किलोग्राम अगर ऑयल, जो त्रिपुरा में पैदा हो रहा है, यदि यह डबल हो जाता है ...**(व्यवधान)**...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, time allotted to the BJP is over.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Under which rule?

DR. JOHN BRITTAS: Do you want rule for that?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Under which rule?

DR. JOHN BRITTAS: Do you want rule for that? Do you want rule for that?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please, any point of order should be under some rule. Now, he is speaking on a Private Member's Resolution. ...*(Interruptions)*... It is allowed. It is allowed. You please be seated. Your chance will come next. Then, you can speak. ...*(Interruptions)*... Please continue, Mr. Sinha. ...*(Interruptions)*... No, no. What is this? ...*(Interruptions)*... Brittasji, please, be silent. Mr. Sinhaji, please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : मुझे यह मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन के सभी सदस्य नॉर्थ-ईस्ट के ट्राइबल एरियाज़ में गये होंगे। राज्य सभा में आने के बाद मैं कम से कम 30 से 40 बार वहां के ट्राइबल एरियाज़ में गया हूं। मैं अपने मित्रों को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि ट्राइबल्स की स्थिति पिछले 70 सालों में क्या रही है और आप उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने कांगथांग गांव को गोद लिया, और उसके बाद मामांग नामक दूसरे गांव को गोद लिया। कांगथांग से मामांग जाने के लिए 45 मिनट का रास्ता था, मुझे स्थानीय प्रशासन ने कहा कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, चूंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वहां पैदल जाना पड़ेगा। पहाड़ी रास्ता है, संकटपूर्ण रास्ता है, लेकिन हम मामांग गये, वहां के लोगों से मिले, वहां के स्कूलों को देखा, वहां के ट्राइबल्स से बात की। इसलिए नॉर्थ-ईस्ट के ट्राइबल्स के बारे में आधिकारिक रूप से और निश्चित रूप से बोलने का मेरा नैतिक अधिकार है।

महोदय, मैंने मेघालय के पांच गांवों को गोद लिया है और मेघालय के उन गांवों को देखा है, त्रिपुरा जाकर वहां के ट्राइबल्स को देखा है, मणिपुर जाकर वहां के ट्राइबल्स को देखा है, इसलिए आज जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मन से, हृदय से इस प्रस्ताव के बारे में बोल रहा हूं, इस बात पर आपको नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शासन काल में

नॉर्थ-ईस्ट जाना, लॉंगेस्ट ट्रैवल करने के लिए जो एलटीसी मिलता था, यह उसका विषय था, जबकि यह हमारे लिए एलटीसी का विषय नहीं है, हमारे लिए यह एक इमोश्नल विषय है, हमारे लिए मुख्य धारा का विषय है।

महोदय, जो श्री बिप्लब कुमार देब जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि इसके लिए बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। आखिर इस प्रस्ताव के पीछे तर्क क्या है? जिस उत्पाद को हम स्थानीयता के दायरे में देखते हैं, उत्पादकों को हम स्थानीय रूप से देखते हैं, उसमें अखिल भारतीयता लाई जाए। इस प्रोडक्ट का प्रसार भारत की जिस-जिस जलवायु, जिस-जिस क्लाइमेट में हो सकता है, इस प्रोडक्ट को वहां रखा जाए। देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप सोचिये, यदि हम दो हजार किलोग्राम अगरवुड का एक स्टेट से एक्सपोर्ट करते हैं, यदि हम एक लाख किलोग्राम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी आय कितनी बढ़ेगी। जिस प्रकार से चावल और गेहूं से हम अपनी आय पैदा करते हैं, उसी तरह से अगरवुड से जो आय पैदा होगी, यह उन किसानों के पास जाएगी, जिन्हें आपने 70 सालों से वॉइसलैस बनाकर रखा है। उनके पास न सड़क है, न पैदावार के साधन हैं और न घर है। इसलिए ट्राइबल एरियाज़ के बारे में जब विषय आता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि वे वंचित लोग हैं, उन्हें वंचित बनाकर रखा गया है। प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्राथमिकता का विषय नॉर्थ-ईस्ट है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ-ईस्ट का लाइवलिहुड है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ-ईस्ट का ऑर्गेनिक फूड है।

महोदय, मैं अगरवुड के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं - बीटल नट, जिसे सुपारी बोलते हैं, खासी में उसको कॉय बोलते हैं, गारो में उसे क्वाई बोलते हैं असम और नागालैंड में इसे तमूल बोलते हैं। ...**(व्यवधान)**...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... It is under Rule 161. It says, "No speech on a resolution, except with the permission of the Chairman, shall exceed fifteen minutes in duration". Fifteen minutes हो गये हैं। He has to sit down. ...*(Interruptions)*... It is Rule 161. ...*(Interruptions)*... मैंने बता दिया। ...(**व्यवधान**)... No; no. He is the Chairman now. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Mr. John Brittas, Rule 161 says, "No speech on a resolution, except with the permission of the Chairman, shall exceed fifteen minutes in duration". ...*(Interruptions)*... It very clearly says, 'Except with the permission of the Chairman'. Since the Chairman has permitted him, he is speaking. That's all. ...*(Interruptions)*... There are five more speakers from your party. So, please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी सबसे अधिक मित्रता वामपंथी साथियों से है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह एक अवसर था, जब अगरवुड के माध्यम से ...(**व्यवधान**)... अगरवुड के माध्यम से वे त्रिपुरा में, जहाँ उन्होंने लम्बे समय तक शासन किया है ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Silence, please.

श्री राकेश सिन्हा : वे वहाँ के ट्राइबल्स के बारे में, वहाँ के ट्राइबल्स के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी ऑर्गेनिक खेती के बारे में, उनकी जीविका के बारे में बोल सकते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि त्रिपुरा की जनता ने इन्हें क्यों उखाड़ कर फेंका है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिस सुपारी की बात कर रहा था - इसलिए मैंने कहा कि अगरवुड हो या बीटल नट हो, मेघालय के खासी हिल्स में सुपारी पैदा होती है। उस सुपारी के पत्ते से जो भोज का पत्तल या खाने का बर्तन बनता है, वह पहला ऐसा बर्तन है, जो रीयूज़ेबल है, जिसका आप बार-बार उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका उपयोग करना बहुत लाज़िम है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि वह सुपारी का पत्ता खासी हिल्स में पैदा होता है और असम के रूट से गारो हिल्स पहुँचता है। वह पत्तल बन कर दिल्ली में बिकता है। दिल्ली में जो पत्तल 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का बिकता है, एक ट्राइबल को उस पत्तल की कीमत एक रुपये भी नहीं मिलती। इसलिए जब ऐसे प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, जो प्रोडक्ट्स उन हाशिए के लोगों के हैं, जो लम्बे समय से वनवासी की तरह पहाड़ों पर और फॉरेस्ट एरियाज़ में रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी जीविका चलायी है, लेकिन जब आधुनिकता के दौर में कृषि का विकास हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी जिस हालत में आज से 70 साल पहले रह रही हो, 100 साल पहले रह रही हो, आज भी उसी हालत में उसको रखा जाए? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक बोर्ड का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और उस बोर्ड को तीन-चार महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए कि वह पूरे देश में उन क्षेत्रों को चिन्हित करे, जिन क्षेत्रों में इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से कभी केरल और कोलकाता में नारियल का उत्पादन होता था, उसका अन्य क्षेत्रों में उत्पादन होने लगा, उसी तरह से ट्राइबल बेल्ट के इस उत्पाद को, अगरवुड के उत्पादन को देश के उन सभी हिस्सों में लाया जाए, चाहे वह वाइको साहब का क्षेत्र हो या मनोज झा जी का क्षेत्र हो या जॉन ब्रिटास जी का क्षेत्र हो। वहाँ अगरवुड पहुँचे। इससे आपको भी अच्छे परफ्यूम्स मिलेंगे, अच्छी अगरबत्तियाँ मिलेंगी, आपके राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी। इस बोर्ड के सामने दूसरा ...(**व्यवधान**)... इस बोर्ड के सामने दूसरा महत्वपूर्ण ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य यह होता है कि क्यों बुनियादी बातों को विपक्ष पसन्द नहीं करता है, यह मैं आज तक समझ नहीं पाया। ...(**व्यवधान**)... सदन से बाहर निकलते ही ये हाशिए की बात करते हैं, जन सापेक्ष की बात करते हैं, लेकिन सदन में आते ही इनको सिर्फ साम्प्रदायिकता पर बहस चाहिए, संघवाद पर बहस चाहिए, जिस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकले,

लेकिन तू-तू, मैं-मैं हो। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर बिना तू-तू, मैं-मैं किये हुए हम किसानों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, नॉर्थ-ईस्ट के लिए, हाशिए के लोगों के लिए, बॉर्डर पर रहने वाले वनवासियों के लिए एक ठोस विकल्प दे सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you, Mr. Rakesh Sinha. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : आप महसूस कीजिए कि त्रिपुरा और असम के ट्राइबल को, मणिपुर के ट्राइबल को आज क्या महसूस हो रहा होगा कि इस सदन में उनके मुद्दे को आज वहाँ के एक सदस्य ने उठाया और पूरा सदन उस पर बहस कर रहा है! मैं अपनी बात ...(**व्यवधान**)... मैं इस बोर्ड के बारे में ...(**व्यवधान**)...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): It is a two-hour debate. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He has already spoken for nineteen minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: It is exact two-hour debate. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No, no. There are another four speakers from your party. So, I am asking as to how much time you require further. It would be better if you tell me and then conclude.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, in this House, on Private Members' Bills and Resolutions, irrespective of the party, every Member has been allowed to express his or her views, whatever time they have taken. That has been the practice in the previous Resolutions and Bills.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No, no.

SHRI V. MURALEEDHARAN: So, why should we be selective on a particular Bill?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): See, the Chair has given sufficient time to Rakesh*ji*. We have given him sufficient time. There is no issue in that. ..*(Interruptions)*.. No, no. One by one.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, the rule has already been quoted. * So, when the rule is quoted, I think, the Chair should go by the rules.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): It is according to the rule. I have already read it. Nothing to worry about that. Yes, tell me the rule.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, it is Rule 259. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Hon. Members, please be seated.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Hon. Vice-Chairman, Sir, there has been a precedence in this House. On the discussion of Private Members' Resolution as well as Private Members' Bill, the BJP also have stuck to the time allotted to them. Today, wholeheartedly, we supported the Resolution of Biplab*ji*, because we have another important resolution by our senior colleague Vaiko*ji*, which is about fundamental issues of Centre-State relationship.

SHRI PIYUSH GOYAL: Mr. Vice-Chairman, Sir...*(Interruptions)*..

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have not finished. ..*(Interruptions)*.. Mr. Vice-Chairman, Sir, I have not finished. ...*(Interruptions)*..

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, he has disrupted a Member of Parliament. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Manoj*ji*. ...(Interruptions)..

SHRI PIYUSH GOYAL: He is just disrupting the proceedings of the House.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Manoj*ji*, one minute. ...*(Interruptions)*.. Let the Leader of the House express his opinion. We will answer to him. ...*(Interruptions)*.. No, no. Let him express his opinion. One minute.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Let me finish.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Tell me.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Respected Leader of the House, I will go by your wisdom. But when I invoked the Rule 259, it was in the context of preserving order, which was lost. My only concern is, Mr. Vaiko's Resolution talks about fundamental issues of Centre State relationship. ..*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): I am for that. ...*(Interruptions)*.. The Leader of the House is speaking. Please be seated. Let us hear him. Then, we will take a call.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Vice-Chairman, Sir, I think it is a very, very unfortunate incident that certain Members of Parliament are resorting to the Rules Book with absolutely unconnected issues, which are not connected with the debate at all. If at all our esteemed colleague is so much concerned about Rule 259, and requesting the Chairman to preserve order and enforce decisions, I would urge him, for the last so many Sessions that he has been a Member of this House, why he did not remember this Rule when he was disturbing the proceedings of this House.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: We do.

SHRI PIYUSH GOYAL: Why do you not remember this Rule when the Opposition is every day disrupting the proceedings of the House? ...*(Interruptions)*..

PROF. MANOJ KUMAR JHA: No, Sir. We do not misquote the Rule. ..*(Interruptions)*..

SHRI PIYUSH GOYAL: Well, Sir. the hon. Member is not going to allow me to speak. ...*(Interruptions)*.. I sat down when you wanted to speak. ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Manoj *ji,* let him finish.

SHRI PIYUSH GOYAL: It says, "The Chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions." I would like to know what relevance this Rule has to the subject under discussion.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Because the House was not in order.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I am talking to you; I am not talking to him.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Manoj *ji,* one minute. You can sit down.

SHRI PIYUSH GOYAL: No. I want to further say something. Mr. Vice-Chairman, you see from the comments that he is making. He is not at all concerned that a senior Member, who has been the Chief Minister of Tripura has pain and angst about a certain subject, which he is trying to promote for the tribals of Tripura. Their concern is more that the issue of Mr. Biplab, the hon. Member of Parliament, may be glossed over, just because some other issue, that they think is more important, should be brought up on the floor of the House first. I do not think this is how Private Members' Resolutions or Bills historically have been taken up in the House. We have always kept a friendly atmosphere. We have always allowed everybody to participate. I have had occasions when on an hon. Member, Shri Tiruchi Siva's particular Bill, the debate went on for hours and hours, for days, in fact. And we still pursued it. Everybody got a chance to speak, and then this House actually passed that Bill, the Private Member Bill also. So, I think, it is very important that the Chair should rule that 'you cannot misuse the rules and cannot quote irrelevant rules for a subject where the intention is only to close this debate and not allow Mr. Biplab ....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No, no, you have expressed your opinion. ...*(Interruptions)*... I will take a call on that. I will do that. ...*(Interruptions)*... Manojji, one minute. ...*(Interruptions)*... Please be seated. Let me complete. He has quoted a rule which you have also read. I have taken notice of it. This is number one. Number two, every Member in this House has the liberty to express his opinion without

fear or favour. Without any fear, they can express their opinion. That is their liberty, and it is their right. There is no doubt about it. So, the Chair now has allowed Shri Biplab Deb's Resolution to be discussed in sufficient time. We have not curtailed it. Whatever is requested by Mr. Vaiko that 'I have rarely got a Resolution to have discussion in this House. So, let me get an opportunity', that is only a request. He is not forcing any anybody to stop your 'Resolution discussion' and come back. He has not done that. The other Members are only supplementing him that a chance should be a given to a senior Member since he has not got this kind of Resolution earlier and now he has got it. It is only a request again. So, let us not go by that kind of a request. So, I wanted to tell all the Members, let us complete this Resolution, and then go to the other Resolution. So, you please conclude Rakesh Sinhaji. You have taken almost 21 minutes. Now it is time to conclude, and I want to tell you, you have four more Members; and it is almost 4 o'clock. ...*(Interruptions)*... Please. Please. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, ...**(व्यवधान)**...

SHRI VAIKO: Sir, ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Piyushji, Vaikoji is addressing you.

SHRI VAIKO: It is a very rare opportunity for small parties like us to get opportunity like this. Therefore, I made a request, sincere request, so that I can put my Resolution in the House and participate.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Vaikoji, your request has been taken seriously. The Chairman will look into that, and it will be taken up. Please don't worry. So, please conclude, Rakeshji. You have almost taken 21 minutes. ...*(Interruptions)*... Please, please.

श्री राकेश सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि जिस संघीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, उस संघीय व्यवस्था के दायरे में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम का ट्राइबल आता है या नहीं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम बिप्लब देब जी के जिस रिज़ॉल्यूशन पर बहस कर रहे हैं, क्या उस रिज़ॉल्यूशन पर गंभीरता से विचार करके नॉर्थ-ईस्ट के ट्राइबल्स के तमाम प्रोडक्ट्स की चर्चा नहीं होनी चाहिए? जब मैंने बीटल नट्स की बात

कही, आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वैसे ट्राइबल्स, जिनके यहाँ सड़क नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं हैं, उनका सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? सर, बीटल नट्स के पत्ते दिल्ली में 25 रुपये में बिकते हैं और उन ट्राइबल को एक रुपया भी नहीं मिलता है। आप खासी हिल्स जाइए, आप गारो हिल्स जाइए, आपको उस रिमोट एरिया में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और 20-20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि गारो, खासी और जयंतिया हिल्स के ट्राइबल्स किस हाल में रहते हैं। जिस बोर्ड की इन्होंने संकल्पना दी है, उसमें मैंने पहला बिंदु रखा था, अब मैं दो और बिंदु रखना चाहता हूँ। उन क्षेत्रों को चिन्हित करने के बाद, चयनित करने के बाद वह बोर्ड इस बात को निर्धारित करे कि उनके प्रोडक्शन को हम किस प्रकार से एक्सपोर्ट से जोड़ सकते हैं। सदन को यह बात जानकर प्रसन्नता होगी कि कोरिया, जापान, ओईसीडी कंट्रीज़, जिनमें नीदरलैंड है, नॉर्वे है, एस्टोनिया है, इन देशों के द्वारा अगरवुड की डिमांड हो रही है। उस माँग की पूर्ति करने में भारत सक्षम नहीं है, क्योंकि हमने वह सक्षमता पैदा नहीं की है, जबकि प्रकृति ने हमें संसाधन दिया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब राज्य नहीं थे, जब सरकारें नहीं थीं, तब भी विकास होता था। जब अग्नि का आविष्कार हुआ, तब राज्य और सरकारें नहीं थीं। राज्य और सरकार का काम होता है कि प्रकृति के संसाधनों का व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से जनभागीदारी के द्वारा विकास किया जाए और उस विकास के द्वारा किसानों का सशक्तिकरण किया जाए। जब किसानों के सशक्तिकरण की बात आती है तो मैं किसानों की तरफदारी करने वालों से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या त्रिपुरा के किसान किसान नहीं हैं? क्या मेघालय के किसान किसान नहीं हैं? उस प्रोडक्ट को व्यापार में लाने के लिए, उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए इस बोर्ड को एक अहम जिम्मेदारी दी जाए। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He is concluding.

श्री राकेश सिन्हा : महोदय, मैं इस सदन के मार्फत तीसरा बिन्दु यह रखना चाहता हूँ कि अगरवुड का प्रोडक्शन अभी मुख्यतः असम और त्रिपुरा तक सीमित है, लेकिन आज अगरवुड के लगभग 50,000 वृक्ष त्रिपुरा में हैं। त्रिपुरा ने 2,000 हेक्टेयर लैंड 2021 की नीति के तहत अगरवुड के प्रोडक्शन के लिए अलॉट की थी। आज यदि त्रिपुरा का ठीक से सर्वेक्षण किया जाए और त्रिपुरा सरकार की अगरवुड पॉलिसी, 2021 को डिकोडिफाई किया जाए तो त्रिपुरा में लगभग 4,000 हेक्टेयर लैंड अगरवुड के प्रोडक्शन के लिए एडिशनल दी जा सकती है। यही स्थिति असम में है। अगरवुड का प्रोडक्शन सिर्फ त्रिपुरा और असम ही नहीं, बल्कि मेघालय के जयंतिया हिल्स में भी संभव है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी सैकरेड फॉरेस्ट की बात कही थी। आप जब मेघालय की पहाड़ियों से गुजरेंगे तो उन फॉरेस्ट्स को देखेंगे, जिनकी आध्यात्मिक-सांस्कृतिक कारणों से रक्षा की जा रही है। मैं जब चेरापूँजी से सोहरा गया, -- सोहरा कहाँ है, यह शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा -- मैं जब वहाँ वर्ष 2019 में गया था, तो वहाँ वृक्ष थे और जब 2020-21 में गया तो देखा कि

कोविड के दौरान उन वृक्षों को काट दिया गया। एक पहाड़ पर वृक्षों को विकसित होने के लिए 20 साल का समय लगता है। आज यदि जयंतिया, गारो और खासी हिल्स में फॉरेस्ट बचा हुआ है, तो वह यही सांस्कृतिक-आध्यात्मिक कारण से बचा हुआ है। इसी अगरवुड को त्रिपुरा के ट्राइबल्स ने, असम के लोगों ने सांस्कृतिक-आध्यात्मिक कारण से बचाया था, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि कोरिया, जापान और ओईसीडी की कंट्रीज़ में आगे इसकी डिमांड होगी, इसकी कीमत पाँच लाख रुपये प्रति किलोग्राम होगी। उनके मस्तिष्क में इसका आर्थिक पक्ष नहीं था, वे तो बस अपनी जीविका चला रहे थे। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अगरवुड बोर्ड के द्वारा...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Rakesh Sinhaji, please conclude. There are four more speakers.

SHRI RAKESH SINHA: Sir, I would be concluding now. राष्ट्रीय अगरवुड बोर्ड में उन लोगों को शामिल किया जाए, जो भले ही औपचारिक शिक्षा से युक्त नहीं हैं, लेकिन वे अगरवुड के प्रोडक्शन में पीढ़ी-दर-पीढ़ी रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक नई परम्परा और प्रवृत्ति को स्थापित करने की कोशिश की है, उसके तहत यदि आपमें औपचारिक शिक्षा नहीं भी है और यदि आपमें विशेषज्ञता है तो आपकी सेवा का उपयोग राष्ट्रीय रूप में लिया जा सकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के मार्फत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे ट्राइबल्स, जो अगरवुड के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जिनका सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, उन ट्राइबल विशेषज्ञों को इस अगरवुड बोर्ड में रखा जाए। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं दो छोटे बिन्दुओं को बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you very much. Let me call the next speaker.

श्री राकेश सिन्हा : सर, मैं दो छोटी बातों को बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You have already spoken for 27 minutes.

श्री राकेश सिन्हा: सर, हमारी क्लास 55 मिनट की होती है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please take your seat. *...(Interruptions)...*

श्री राकेश सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो लोग सेमिनार में और सड़क पर जनपक्षधरता की बात करते हैं, जब सदन में जनपक्षधरता की बात होती है तो वे क्यों उसे...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You require one hour actually. You are a professor. ...*(Interruptions)*... But, in Parliament, we cannot give one hour to all professors. That is the problem. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAKESH SINHA: Let me conclude. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Prof. Manoj Jha is there. He also needs one hour. ...*(Interruptions)*... But that is not possible. So, I request you to please conclude. I will call the next speaker.

SHRI RAKESH SINHA: I am concluding in one minute. ...*(Interruptions)*... सर, आधा समय तो टोकाटोकी में चला गया है। महोदय, मैंने कन्कलूड नहीं किया है। मैं एक मिनट में कन्कलूड करता हूं, अदरवाइज़ इतिहास में ऐसे ही स्पीच जाएगी। मैं अंत मे कन्क्लूड करना चाहता हूं कि माननीय बिप्लब देब जी की इस संकल्पना को ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा : हम सब समर्थन करते हैं।

श्री राकेश सिन्हा : आप सिर्फ समर्थन ही मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**... नारेबाज़ी से देश नहीं चलता है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you, Rakesh*ji*.

श्री राकेश सिन्हा : महोदय, देश बुनियादी मुद्दों पर बुनियादी तरीके से चलता है। आम लोगों के ...**(व्यवधान)**... 70 साल से देश में विपक्ष ने ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): The next speaker is Dr. John Brittas. ...*(Interruptions)*... Rakesh*ji*, I have already called the next speaker. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: He has not yet completed. It is a Private Member's Resolution. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): The Leader of the House, I have given more than the required time to the hon. Member. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, in Private Member's Resolution ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): In Private Member's Bill and Resolution, the time limit is two hours. ...*(Interruptions)*... We have to give time to others also. ...*(Interruptions)*... There are another four Members from your Party. ...*(Interruptions)*..

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): We can discuss it next week. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): That can be done. ...*(Interruptions)*... But there are another four Members from your Party. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Rakesh*ji*, please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRALHAD JOSHI: Let him conclude it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): It is on the Chair. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, he should be given more time. ...*(Interruptions)*... Let him, at least, complete his subject. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): I understand the subject and I also understand what Rakesh Sinha*ji* has spoken as well as what you have understood. ...*(Interruptions)*... He has spoken about all the subjects regarding the Resolution which is being discussed. ...*(Interruptions)*... So, I request him to conclude it. I have called the next speaker. ...*(Interruptions)*... Please be seated. ...*(Interruptions)*... That is not correct. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRALHAD JOSHI: Let him conclude it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He has concluded. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: He has not concluded. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): He has concluded. ...*(Interruptions)*... I told him to conclude and he has concluded. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: He has a right to conclude his subject. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): All of you, please, sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... प्लीज़, बैठ जाइए।

श्री हरद्वार दुबे (उत्तर प्रदेश) : सर, ये लोग ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You please sit down. ...*(Interruptions)*... First, you sit down, then I will allow you. ...*(Interruptions)*...

श्री हरद्वार दुबे : सर, मैं आपसे कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please sit down. ...*(Interruptions)*... I have asked Sinha*ji* to conclude. ...*(Interruptions)*... Listen to me. ...*(Interruptions)*.. Please, sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री हरद्वार दुबे : सर, मैं आपसे कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You cannot shout like this. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... I am telling you, please sit down. ...*(Interruptions)*...

4.00 P.M.

You can't do this. I have requested the Member. He has said that he can conclude within one minute. Let him conclude. I will allow him to conclude, and, afterwards, Dr.

John Brittas will speak. And, others should not shout like this. This is not correct. Yes, Shri Rakesh Sinha.

श्री राकेश सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी संवेदनशीलता को जानता हूं।...**(व्यवधान)**... आप स्वयं गरीबों और ट्राइबल्स के पक्षधर रहे हैं और ऐसे अवसर पर जब ट्राइबल की बात चल रही है, तो *...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude.

श्री राकेश सिन्हा : सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता)** *पीठासीन हुए।*]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please continue.

श्री राकेश सिन्हा : सर, बिप्लब देब जी ने अपनी संकल्पना में चार महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया है। पहला बिंदु अगरवुड के प्रोडक्शन में एक राष्ट्रीय नीति के निर्माण का है। आपको शायद पता नहीं होगा कि मिथिला के लोग पान बहुत खाते हैं। पान के पत्ते का प्रोडक्शन नॉर्थ-ईस्ट में होता है। मैं सच कह रहा हूं कि यदि उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उन ट्राइबल्स को बाहर से किसी अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वहारा की बात करने वाले लोग, कम से कम उन लोगों के बारे में जब बात होती है, तो ऐसा व्यवधान पैदा न करें, जैसे वे कुछ हैं ही नहीं। ऐसा तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। वहां पर भी उनकी खैर ली जाती थी, आप तो उससे नीचे जा रहे हैं। जब भी गरीबों की बात होती है, आप गरीबों की बात में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, बहस नहीं चाहते हैं। बिप्लब देब जी ने अन्य तीन बातें कही हैं। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर अनुदान देकर उसकी कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाए, यह प्रस्ताव सीधा स्थानीयता से न जुड़कर अखिल भारतीयता से जुड़ जाए और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष उन्होंने जो रखा है, वह यह है कि जो किसान उसका उत्पादन कर रहे हैं, उन किसानों को ...**(व्यवधान)**...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It is a Private Member's Resolution. ...*(Interruptions)*... Dr. Brittas, you are the next speaker. So, you can speak. When his time is over, you can speak. You can raise your point at that time.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Now, Shri Rakesh Sinha, please continue. ...*(Interruptions)*... You will have your time. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, this is the strategy. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Dr. Brittas, you will have your time. Rakesh*ji*, please continue. ...*(Interruptions)*...

श्री हरद्वार दुबे : ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। हर बार प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Dr. Brittas, you are the next speaker. So, you will have your time. Whatever you want to say, you can say at that time. ...*(Interruptions)*... Now, let him continue. Let him finish. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : सर, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इनके लिए भारत का तात्पर्य क्या है?...**(व्यवधान)**...

DR. JOHN BRITTAS: Mr. Vice-Chairman, Sir,...*(Interruptions)*... Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Prof. Jha, you know it very well. In your own Bill, how much time did you take? ...*(Interruptions)*... You know about the Private Members' Business. You know how much the Members can speak. ...*(Interruptions)*... This House has the precedent of a speaker speaking for one-and-a-half hours on a Private Member's Bill. ...*(Interruptions)*... You yourself are an example. ...*(Interruptions)*... So, let him continue and let him finish. Don't disturb the speaker. If you disturb him so much, how will he be able to finish? ...*(Interruptions)*... So, be kind and allow him to speak.

श्री राकेश सिन्हा : मैं जब भी कन्क्लूड करने लगता हूं, तो इन्टरप्शन शुरू हो जाती है। ...**(व्यवधान)**...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this is my right. You have to allow the point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : मेरे कन्क्लूज़न पर ही प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्यों होता है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, इनके पास केवल एक मिनट का समय था।...**(व्यवधान)**...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, please allow my point of order. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your point of order has been heard by the Vice-Chairman earlier and he has given his ruling. No more ruling now. You will have your say. I will give you time. You can speak then, not now. Don't disturb him. This is not the way. ...(*Interruptions*)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this is my right. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will give you time later. ...*(Interruptions)*... Let the hon. Member finish his speech. ...*(Interruptions)*... Mr. Rakesh Sinha, please continue.

श्री राकेश सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात को गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस पर जो मेरे मित्र बार-बार आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने लंबे समय तक त्रिपुरा में शासन किया है। वे अपने साथियों से, अपने कॉमरेड्स से पूछ सकते हैं कि अगरवुड के महत्व पर, उसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिप्लब देब जी जो प्रस्ताव लाए हैं, उसका प्रभाव वहां के स्थानीय लोगों पर कैसा पड़ रहा है। मैं कोई समय काटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। विपक्ष इस पर गंभीरता से विचार करे। क्या भारत का तात्पर्य महानगर होगा, भारत का तात्पर्य उच्च मध्यम वर्ग होगा? भारत के तात्पर्य में वह ट्राइबल भी आता है, जिसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं हैं, जिसके पास घर नहीं है, जो किसानों के दर्जे में नहीं पहुंच पाया है। आज प्रधान मंत्री जी की योजनाएं वहां पहुंच रही हैं, जिससे सुदूर क्षेत्रों में ट्राइबल्स के लिए घर बन रहे हैं। यदि आप यह मांग करते, यह सूची लेकर आते कि मणिपुर के क्वाथा और मेघालय के कोंगथोंग में उन ट्राइबल्स की क्या हालत है, उस क्वाथा गांव में जाकर देखिए, उस कोंगथोंग गांव में जाकर देखिए ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Member, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : महोदय, अगरवुड बोर्ड में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय, तीनों की सहायता ली जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, यह बात ये पहले भी बोल चुके हैं। एक ही बात तीन-तीन बार बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please do not make running commentary. ...*(Interruptions)*... Please do not make running commentary. ...*(Interruptions)*...

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, ये एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): If you disturb him like this, then, what will he do? ...*(Interruptions)*... What will he do if you disturb him so much?

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, he said that he will conclude in one minute. ...*(Interruptions)*... One extra minute was given, and, now... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He has the right to speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, the Chair also has a right. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : यह तो एक ऐसी ही बात है कि जो सूक्ष्म मुद्दे होते हैं और सूक्ष्म समाज से जुड़े होते हैं। उन सूक्ष्म मुद्दों पर ...**(व्यवधान)**...

SHRI VAIKO: Sir, we seek justice for smaller parties. ...*(Interruptions)*... I think, you should consider this. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Vaiko, I know that you have to raise an important issue but this issue is equally important. ...*(Interruptions)*... Please let him speak.

श्री राकेश सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जिस प्रांत से आते हैं, यदि उस प्रांत में 2015-16 से पहले अगरवुड के प्रोडक्शन को बढ़ाया होता, तो क्या असम का जीडीपी नहीं बढ़ता? क्या असम, त्रिपुरा और मेघालय का जीडीपी बढ़ाने की चिंता आप सबको नहीं है? जो राज्य 85 मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भेजेंगे, क्या उन्हीं की बात होगी? जिन राज्यों से एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, क्या उनकी बात नहीं होगी? क्या नागालैंड की बात नहीं होगी? हमारी पार्टी ने नागालैंड से राज्य सभा में एक सदस्य को अप्वाइंट किया है, क्या यह आपके लिए खुशी की बात नहीं है? राष्ट्रीय एकता का प्रश्न जातीय नहीं है। राष्ट्रीय एकता का प्रश्न और राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रश्न कोई एक समूह विशेष का प्रश्न नहीं है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, जिनसे हाशिए के लोग आज मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उन्हें भारतीय होने का, भारत में रहने का और भारत के गणतंत्र का एहसास हो रहा है। आज अगर लक्ष्मीकुट्टी को पद्मश्री मिल रहा है, आज अगर ट्राइबल बेल्ट की तुलसी गौड़ा को पद्मश्री मिल रहा है, आज अगर मेघालय की ट्रिनिटी साइओ को पद्मश्री मिल रहा है, तो आज हम ट्राइबल बेल्ट में सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पहुंच रहे हैं। क्या यह आपको दर्द पैदा कर रहा है? ...**(व्यवधान)**... उनके दर्द में सहभागी बनिए। आप जिस संघवाद की बात कर रहे हैं, उस संघवाद पर संविधान सभा से लेकर अब तक हज़ारों बार बहस हो चुकी है। तब तो आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन ट्राइबल्स के बारे में अगर डेढ़ घंटे बहस हो जाए, तो विपक्ष को दर्द होता है। ...**(व्यवधान)**... हमने तो एक चिराग मांगा है और आप आशियाना ही जलाने लगे! मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूं कि ट्राइबल बेल्ट की स्थिति को जानने और समझने के लिए उन्होंने एक विषय दिया है, ...**(व्यवधान)**... उन्होंने यह नहीं कहा है कि आप अगरवुड तक सीमित रहिए। जब हम किसी मुद्दे को उठाते हैं, तो उसे व्यापकता के दायरे में देखना चाहिए। उसके बड़े फलक पर हमें बहस करनी चाहिए और हमारा बड़ा फलक उत्तर-पूर्व के राज्य हैं। उत्तर-पूर्व के राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो बहुत अच्छा है, उत्तर-पूर्व के राज्यों में यदि हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज पहुंचने की बात हो, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर-पूर्व के राज्यों की बुनियाद में जो ट्रायबल्स हैं, यदि उनकी बात हो, तो ये बेकार की बातें हैं, सदन का समय जा रहा है, यह मुझे कम से कम डा. जॉन ब्रिटास जैसे अपने मित्र से अपेक्षा नहीं थी, जो कि हमेशा मार्क्सवादी होने के कारण गरीबों की बात करते हैं। उनसे ज्यादा गरीब कौन हो सकता है? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से यह जानना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**... मैं सदन के मार्फत एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वह ऐसी जगहों पर जाये, वहां के किसानों से मिले, उनकी हकीकत को और यथार्थ को जाने। बिना देश के यथार्थ को जाने, आप देश के विकास की बात नहीं कर सकते हैं ...**(व्यवधान)**... और यथार्थ को जानने के लिए गूगल और पुस्तकों में नहीं, भारत की यात्रा करनी पड़ेगी, भारत की यात्रा का मतलब पर्यटन नहीं, भारत की यात्रा का मतलब

सुपारी पैदा करने वाले किसानों, पान पैदा करने वाले किसानों, अगरवुड पैदा करने वाले किसानों से जाकर मिलना, उनके साथ वार्तालाप करना, उनकी कठिनाइयों को जानना है। सूक्ष्म बातों में ही स्थूल बातें होती हैं। ...**(व्यवधान)**... जब तक सूक्ष्म बातों की ओर सदन अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करेगा, जब तक इन बातों पर गंभीरता से विचार नहीं होगा -- मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही मुद्दों पर सदन में बहस की जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम राज्य सभा के सदस्य से अपेक्षा होती है कि हम उन बातों पर बहस करें, जिन बातों पर साधारणतया जन प्रतिनिधि बहस नहीं करते हैं। हमेशा अपेक्षा की जाती है कि हम उन क्षेत्रों में जायें, जो क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं। असम और त्रिपुरा के विकास के साथ-साथ मेरा एक अनुमान है, जो मैंने सीमित अध्ययन से लगाया है, यदि ट्रायबल बेल्ट के 100 ऐसे उत्पादकों की सूची बनाकर, इनको व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाये, तो नॉर्थ-ईस्ट की जीडीपी में चार से पांच प्रतिशत का उछाल आ सकता है। इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सदन बिप्लब देब जी के इस प्रस्ताव को सहमति ही न दे, बल्कि भावनात्मक रूप से इससे अपने आपको जोड़े। ...**(व्यवधान)**... आप नॉर्थ-ईस्ट में जाकर उन किसानों से भी मिलें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह मेरा दर्द इसलिए है, क्योंकि मैं नॉर्थ-ईस्ट की बेल्ट में 30 बार किसानों के बीच में गया हूं।...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा : आपको इतना किसानों के लिए दर्द है, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री राकेश सिन्हा : जो लोग नॉर्थ-ईस्ट में सिर्फ शहरों को देखने के लिए गये, शिलॉंग और गुवाहाटी को देखने गये, मैं उनसे कहता हूं कि शिलॉंग और गुवाहाटी से दूर पैदल यात्रा कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप पैदल यात्रा कीजिए, विलासिता के जीवन से निकलकर उन ट्रायबल्स से, जो हजारों साल से कष्ट में रह रहे हैं, उनसे अपने आपको जोड़िये। देखिए, कैसे हिन्दुस्तान बदलता है। अब नरेन्द्र मोदी जी का हिन्दुस्तान बदल रहा है, जिसमें ट्रायबल की वही महत्ता है, जो शहरों में रहने वाले लोगों की है। हम बिना समाजवाद का नाम लिये, बिना समाजवाद शब्द का प्रयोग किये हुये, समाज के हर हाशिए के व्यक्ति को अपने विकास के केन्द्र में रख रहे हैं। इसे दुनिया देख रही है। ...**(व्यवधान)**... उपसभाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you, Rakesh Sinha ji. The next speaker is Dr. John Brittas.

SHRI VAIKO: Sir, there is no democracy in this House. ...*(Interruptions)*... They have got the majority. ...*(Interruptions)*... During Private Members' Business, small parties like us are accommodated. This is the only chance, that is, on Private Members' days, the small parties get a chance. So, the Chairman has to protect us. They may laugh; they may ridicule but ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Yes, Dr. John Brittas. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your colleague is speaking.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: This is important for the Chair. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He has the passage. Now he will be speaking. ...*(Interruptions)*... No; you cannot interrupt. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Give me just one minute. ...*(Interruptions)*... Sir, it is a very important point of order. ...*(Interruptions)*... Please allow me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your point has already been made. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): And the previous Vice-Chairman has already given a ruling. ...*(Interruptions)*... He has already given a ruling. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, you have not heard me. Hear me out, Sir, just for 30 seconds.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I am quoting ...*(Interruptions)*... एक मिनट ..(**व्यवधान**).. मैं हाथ जोड़कर रूल 161 के तहत कहता हूं। महोदय, मुझे रूल के लिए कहा गया। मैं अप्रैल 2018 में आया था। मैंने पहला काम यह किया कि मैं एक हफ्ते के अंदर रूल बुक पढ़ गया था। सर, रूल 161 में there have been instances today, sorry to say this, maybe inadvertently, when motives were attributed to the Chair. Expunge that, Sir. One Member who was

speaking, he said to the Chair कि * This was against the Chair. And motives were attributed to me that I am misquoting the Rule. I don't have to say anything, Sir, I am just putting it on record. If there are issues, it should be expunged from the proceedings of the House, because the House will remain, we may not be there. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into it. Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS : Thank you, Sir. सर, आप सुनिए। हमने राकेश जी को 40-50 मिनट सुना है। Sir, at the outset, let me express my profound sense of gratitude towards Biplab babu for bringing this Resolution on the floor of the House. He was the Chief Minister of Tripura. He could have brought this, I am sure, because he understands the agony of the agarwood farmers. I understand the multiple levels of agony he is sharing. * The second agony is that ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Don't make personal remarks. ...(*Interruptions*)... No. ...(*Interruptions*)... This will be expunged from the proceedings. ...(*Interruptions*)... Don't make personal comments. ...(*Interruptions*)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I didn't say anything. Please listen to the speech of Rakesh Sinha *ji*. He has gone everywhere. श्रीलंका गए, मलेशिया गए, कहाँ नहीं गए? Sir, the second agony is this. And it is a very, very important thing. I have been patiently listening to the speech of my friend Pabitra *ji* from the BJP. Generally, they were speaking about the hardships of the farmers and in particular of the agarwood farmers. Even the Ruling Party Members are concerned about the plight of our farmers in this country. That is something which needs to be appreciated because, at least, they have the honesty to say that farmers are finding it extremely difficult to survive in this country. I fully appreciate it. कहाँ हैं बिप्लब बाबू? देखिए, चुपचाप बैठे हैं। See the agony on his face.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Dr. John Brittas, you concentrate on the subject. You are going out of the subject. I understand your agony. ..(*Interruptions*)...

श्री जॉन ब्रिटास : मैडम, क्रिसमस का टाइम है। ..(*Interruptions*)... Sir, agony is not an unparliamentary word. The Resolution is absolutely the manifestation of the agony which Mr. Biplab Kumar Deb shares, not the agony which I said in the first part. It is the agony of the plight of the farmers of this country. The Resolution has been very elaborate. I appreciate it. He has meticulously drafted this Resolution. Because he understands that if at all he takes up the matter bilaterally with the Minister or the Government there won't be any result. That is why, he thought it appropriate and befitting to draft his demand as a Resolution so that he gets the support of the Opposition for it. I have no hesitation. ...*(Interruptions)*... I will tell you one thing. I am sure why he framed this Resolution is because his faith in this House and this Opposition is overwhelming, more than his faith in the Government. That is the point. ...*(Interruptions)*... Otherwise, Biplab *Babu* is supposed to have so much clout in the Government.

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I have a point of order under Rule 238, that is, rules to be observed while speaking. It is about making a personal charge against a Member.

डा. जॉन ब्रिटास : यह चार्ज है क्या? What is this, Sir? ...*(Interruptions)*...

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, the hon. Member has made a personal charge against the mover of the Resolution and on the motive of moving of the Resolution. ...*(Interruptions)*... He is saying that the * So, such words should be removed from the proceedings. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into the record. ...*(Interruptions)*... You carry on.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my hon. friend, Mr. V. Muraleedharan, has always been helpful to me. ...(*Interruptions*)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You don't have to respond to him. ...*(Interruptions)*... You address me. I have already said that I will look into the record. If something is unparliamentary, it will be removed. Please carry on.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am looking at you while speaking whereas my counterparts in the Treasury Benches were looking at our side. ...*(Interruptions)*... Since they found us to be more palatable, let them look here. I have no issue at all. Let them look at us. What I am saying about this Resolution is this. I have gone through different paragraphs of this Resolution which go up to (g). I appreciate one of the very important aspects which he has mentioned because he has written, "Provide adequate welfare measures for Agarwood cultivators". * - मैं बताता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Again, this is personal. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, Agarwood is used for religious purpose, for perfumes, medicinal purpose, spiritual purpose, etc. I mean, this is very important for all facets of our lives -- spiritual side, material side and even the ambience. We need to have such perfumes. When there is so much of.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It is used as an aromatic ingredient. ...*(Interruptions)*... I just clarified it.

DR. JOHN BRITTAS: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very thankful to you. I am sure about the fact that you must be knowing about this product much more than any one of us. But, I just want to give a piece of information to my friend, Mr. Rakesh Sinha, because he spoke about this Resolution * मैंने बात की है, मैंने सुना है।

Sir, paragraph (g) is very important. ...*(Interruptions)*... My friend, Biplab *Babu*, has been absolutely correct when he brought in something about MSME units. It is very important. This Resolution has got a direction and a purpose. Why do we support Biplab *Babu*'s Resolution wholeheartedly? It is because farmers can survive only if their products are turned into value added products and if that can be instrumental in giving jobs to people. Sir, in our country, maximum number of people work in MSME

---

* Expunged as ordered by the Chair.

sector. नीरज जी, सही है न! सही है। The one sector; why is he saying that? I told you it MSME sector is developed on this front, that would help to give more jobs to people also, tribal people. We have to help them. That is why, we are wholeheartedly supporting. The biggest issue of the MSME sector is that they do not have skill. We do not impart skill to the MSME sector and there is a deficit for the credit. They do not get bank loans unless they have collaterals. Two death blows happened to the MSME sector in this country. Do you know which those two death blows are? The two death blows for the MSME sector, first was demonetization and the second was Covid. ...*(Interruptions)*... These were the two death blows. Thousands of MSMEs plunged into crisis. Thousands of MSMEs wound up. They were closed down. Lakhs of people lost their jobs because of the MSME closure. So, the Resolution which harps on the imperative of the MSMEs, that is something very important.

Coming to agriculture, our Members were underlining the importance of agriculture. Can we think about India if we ignore the agriculture sector? Biplab Babu was the Chief Minister there. Actually, agriculture used to come in the State subject but now he understands that everything is being monitored and done from the Centre. That is why, despite agriculture being the State subject, the farm bills were pressed upon the States, and you know what happened to them. So, he understands that there needs to be a strategy, and he needs to get the support of the Centre, and Vaiko*ji*'s Resolution also has a relevance to this point. Do you know what is it? Unless the States are empowered, unless the States' finances are helped or enriched, how can they help the Agarwood farmers? About Biplab Babu, I would tell you. The biggest sorrow he has is that despite the fact he was the Chief Minister ruling Tripura and, for me, he was ruling well but, still, his friends found it otherwise; I mean, that's why it happened to him. Anyway, none of the States can take care of the needs of... ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, there is a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Under which rule? ...*(Interruptions)*...

डा. जॉन ब्रिटास : 'बिप्लब बाबू' अनपार्लियामेंटरी है क्या?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is under rule 240. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, you promised me one hour for my speech. ...*(Interruptions)*... I would speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is about 'Irrelevance or repetition.' ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: What repetition? ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: "The Chairman, after having called the attention of the Council to the conduct of a member..."

DR. JOHN BRITTAS: Is 'farmers' a repetition to you? ...*(Interruptions)*... Do you not like farmers? ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: "...who persists in irrelevance or in tedious repetition..." ...*(Interruptions)*... So, he is repeatedly mentioning the same false allegations. ...*(Interruptions)*... Sir, he should be asked to discontinue as per Rule 240. ...*(Interruptions)*... Sir, as per Rule 240, you can ask him to discontinue. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I want protection. ...*(Interruptions)*... I want your protection. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, you should ask him to discontinue the speech. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: * ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): One minute. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, he is indirectly.....*(Interruptions)*...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The point of order under rule says about 'Irrelevance and repetition.' ...*(Interruptions)*... So, I would have a look into it. ...*(Interruptions)*...

डा. जॉन ब्रिटास : राव साहब, आप यह क्यों कर रहे हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please continue now. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Okay, Sir. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*... Even if my friend Rao Saheb disowns Shri Rakesh Sinha, I would not disown him. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You need not reply to him. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will tell you. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He had addressed the Chair. He has raised a point. I have already said that I will have a look into that. Please continue.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the issue is, as I said, Agarwood farmers, agriculture, MSMEs, everything is included in this elaborate Resolution. ...*(Interruptions)*... Sir, they are disturbing me. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You continue. ...*(Interruptions)*... I have allowed you. ...*(Interruptions)*... Please continue. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: How can I speak when they are disturbing? ...*(Interruptions)*... I want your protection. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You continue. ...*(Interruptions)*... You have to address to me. ...*(Interruptions)*... I am listening to you. ...*(Interruptions)*... You do not worry about that. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will tell you. ...*(Interruptions)*... आप बताइए, मैंने बता दिया है।...**(व्यवधान)**... आप बैठिए।...**(व्यवधान)**... Sir, actually, I was patiently listening to Shri Biplab *Babu*. Tripura's economy, tribal's lives and livelihood is very important to us. It is very important to us. ...*(Interruptions)*... Sir, tribals are all over the country. ...*(Interruptions)*... One thing is that in order to help the farmers of Tripura, we took it on ourselves to make sure that they start rubber cultivation. ...*(Interruptions)*... वहां रबर कल्टिवेशन शुरू हो गया है। Sir, is this the way they have to behave? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I am listening to you. ...*(Interruptions)*... You please continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, you tell them also how to behave.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will tell you one thing. ...*(Interruptions)*... In order to help the farmers of Tripura, the tribals of northeast, we imparted the skill and knowledge of rubber cultivation to them in a big way. ...*(Interruptions)*... Biplab *Babu* knows that. ...*(Interruptions)*... The Tripura farmers ventured into rubber cultivation. Sir, what happened? The import policy of the Government of India ditched rubber cultivators in Tripura, North East and Kerala. ...*(Interruptions)*... Yes. ...*(Interruptions)*... Sir, what has happened? ...*(Interruptions)*... राकेश सिन्हा जी, क्या आप अगरवुड के बारे में बोले थे?...**(व्यवधान)**... Sir, I will tell you one thing. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You address the Chair. ...*(Interruptions)*... The Chair is listening to you and it is going on record. ...*(Interruptions)*... So... ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I want to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Yes, please.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I want twenty minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Rakesh*ji* ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my only submission is because I feel that my friends from the Treasury Benches will facilitate Vaiko*ji* to move his resolution on that condition. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : आप बताइए अगरवुड क्या होती है?

डा. जॉन ब्रिटास : सर, यह क्या है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no. Mr. John Brittas, don't put a motive. ...*(Interruptions)*... Don't put a motive. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा : आप सदन के ऊपर एस्पर्शन कास्ट कर रहे हैं। This is wrong. आप सर्वहारा वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Brittas, you did the same thing when he was speaking. ...*(Interruptions)*... So, you address the Chair. ...*(Interruptions)*... I am listening to you. ...*(Interruptions)*... I am listening to you. ...*(Interruptions)*...

डा. जॉन ब्रिटास : सर, यह क्या है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You don't have to reply to him. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, how can he question? He can address you but he cannot dictate it. ...*(Interruptions)*... Sir, he has to address the Chair. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, I have allowed Shri John Brittas to address to me and not anybody else. ...*(Interruptions)*...

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, इन्होंने रिज़ॉल्यूशन का मज़ाक बना दिया है।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I don't take note because when I speak.... *...(Interruptions)...*

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir,... *...(Interruptions)...*

DR. JOHN BRITTAS: Nasir*ji*, just a minute. *...(Interruptions)...* Sir, when I speak about the farmers of this country, they don't like it. *...(Interruptions)...* * *...(Interruptions)...* Sir, 700 farmers had lost their lives because of their lopsided policies. *...(Interruptions)...* Sir, Tripura farmers. Tripura farmers. *...(Interruptions)...* They were speaking about the Tripura farmers. *...(Interruptions)...*

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I have a point of order.

डा. जॉन ब्रिटास : यह प्वॉइंट ऑफ डिसऑर्डर है।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, these are offensive expressions. Use of offensive expressions is not accepted while speaking in the House under Rule 238. *...(Interruptions)...* He has used very objectionable and offensive words regarding farmers. *...(Interruptions)...* Have some concern and sensitivity for the farmers.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, what is this?*...(Interruptions)...*

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: He used very offensive words while speaking in the House. *...(Interruptions)...*

डा. जॉन ब्रिटास : फार्मर्स के बारे में बोलने में क्या दिक्कत है?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: He made allegations.

डा. जॉन ब्रिटास : किसान पर बोलना डेरोगेटरी है क्या ?

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Under Rule 235, you cannot make allegations which you cannot substantiate. Sir, he said something in relation to farmers. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, what is this?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I am saying that under Rule 238 (A). Sir, those allegations must be expunged from the record. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into the record.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am so agitated by the fact that the Members of the Treasury Benches do not want to listen to the agonies of our farmers. How can they be like this? How can they be impatient? I am talking about the hardships being faced by the farmers, especially, in Tripura, not only agarwood farmers, the rubber farmers. ...*(Interruptions)*... Yes; that is why the price of the rubber has plummeted to Rs.120. ...*(Interruptions)*... You have imported 5 lakh tonnes of rubber from Malaysia and Vietnam. You have imported. The price of the rubber in Kerala was Rs.200. It has come down to Rs.120 because of their import policy. ...*(Interruptions)*...And the Government of Kerala...*(Interruptions)*... Sir, the Government of Kerala ...*(Interruptions)*... Rakesh*ji*, ...*(Interruptions)*...

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... He is continuously asking questions directly from him. ...*(Interruptions)*... Not that he is asking question through the Vice-Chairman. ...*(Interruptions)*... This is a wrong thing. ...*(Interruptions)*... Continuously, Rakesh*ji*... ...*(Interruptions)*... This is Rule 239; question to be asked from Chairman. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It is good sense of the hon. Member to address the Chair on any issue. ...*(Interruptions)*... Now I have allowed Dr. John Brittas. ...*(Interruptions)*... Dr. John Brittas is speaking. You are also interrupting him. ...*(Interruptions)*...

DR. V. SIVADASAN: It says, "When, for the purposes of explanation during discussion ...*(Interruptions)*...or for any other sufficient reason, any member has occasion to ask a

question of another member on any matter then under the consideration of the Council, he shall ask the question through the Chairman." ...*(Interruptions)*... But, here, Shri Rakesh Sinha is continuously violating this principle, violating the rule. So, you please control him and allow Dr. John Brittas to speak. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Thank you, Sir. There was a question which was raised from this side: What were we doing? ...*(Interruptions)*... Sir, I can submit, since it is a genuine question, I feel that I need to respond to the genuine question. Sir, in Kerala, with the limited resources we have, we made it a point that the rubber cultivators get minimum Rs.170 for one kilogram. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: That is why, today, I made a request, even to the Leader of the House, to kindly allow us to put our views, to place our views. That is democracy. But what has happened today, it is a * the way in which the Ruling Party Members took the time. They took the time. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Vaiko, I think the Chair has permitted the Opposition and the Ruling Party equally. ...*(Interruptions)*... Ruling Party has spoken, Opposition speaker also has spoken. Now one Opposition Member is speaking, and you are interrupting. ...*(Interruptions)*... Please.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I want protection. ...*(Interruptions)*... I will tell you, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, he said very objectionable words about the...*(Interruptions)*...proceedings of the Council and this must be expunged. ...*(Interruptions)*... This is Rule 238(iii). ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Rao *saheb*, you expunge it. ...*(Interruptions)*...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, Mr. Vaiko called the proceedings * ...*(Interruptions)*... I object to this word. ...*(Interruptions)*... This must be expunged. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: What is * is * ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Vaiko *saheb* withdrew it. ...*(Interruptions)*...On behalf of Vaiko*ji*, I am withdrawing that shameful word. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: No, that Chair will decide. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into the record. ...*(Interruptions)*... If something is unparliamentary or against the rule, it will be expunged. Please. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, why I appreciate my hon. friend, Shri Biplab Deb is that, mostly, Ruling Party Members used to come with Bills and Resolutions which are intended to create polarization of society. But for a change, Biplab*ji* has been very progressive enough to come up with a Resolution which has to have an impact on the lives of so many millions of people. So I find him an oasis in the midst of so much of cloudy people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Brittas, he is the mover of the Resolution. He will have enough time to speak on his Resolution in his reply. If you do not have anything concrete, please conclude.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will just conclude. ...*(Interruptions)*... The cardinal points on which this House has to debate: Can we leave the plight of farmers like this? The second thing is that we have to protect our farmers. For that, what we need to do, Sir, is that we have to give them remunerative price. Sir, you also know what crisis the farm sector is facing now. First of all, there is no insurance; there is no comprehensive insurance for their crops. Second thing is that assuming that there is yield; there is no

---

* Expunged as ordered by the Chair.

remunerative price for the production of the farmers. That is the biggest crisis there. The basic parameter on which we need to deliberate this issue is the policy of this Government towards the farmers and agriculture. The lopsided policies of this Government has provoked an hon. Member of this House to bring such a Resolution. So, I sympathise with him and I fully support him that despite being a Member of the Treasure Benches, he had to resort to this means of a resolution to get justice and his faith in the Opposition. We are reciprocating by wholeheartedly supporting this Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

DR. JOHN BRITTAS: We are wholeheartedly supporting this Resolution. And, I would urge upon the Treasury Benches to support Biplab *babu* as we are supporting. Please extend that much support.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

DR. JOHN BRITTAS: Unless the House stands in unison; yes, unless the House is unified to support such Resolutions, the farmers cannot be saved. They are suffering because of the lopsided policies of this Government. And, I earnestly hope that in the light of the Resolution moved by Biplab Deb, the Government of India will seriously contemplate and withdraw their anti-farmer policies to help the farmers of this country including the agarwood farmers. I fully support and salute Biplab Deb.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, next speaker is Dr. Amee Yajnik.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Thank you, Sir, for this opportunity. First of all, I would like to congratulate hon. colleague, Mr. Deb for coming up with a Resolution that speaks of some kind of a sustainable cultivation of a product which is called agarwood. Sir, this Resolution that is moved speaks of bringing about cultivation and empowering the farmers of a particular region. ...*(Interruptions)*... Sir, if I am not audible...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please continue, I am hearing. I am listening. You address to me. Everything is going on record.

DR. AMEE YAJNIK: Sir, the sustainable cultivation will empower the farmers of that particular region. It is a very, very laudable and an ambitious way to bring about this Resolution and I fully support it.

There is only one thing I would like to say, and would concentrate on a few points as far as this particular Resolution is concerned. The Resolution speaks of it that it will bring out potential of the farmers and thereby it will create an economic revolution within that region. Today, when we talk about meeting our Sustainable Development Goals, where sustainable agriculture and empowering farmers is one of the issues in the country, here, we are trying to see that the farmers promote their products and they come out and get empowered in a way that the agriculture sector has not done so far in that particular region. I, certainly, feel that bringing about this Resolution and talking about empowering a certain section of the society, that is, the agriculture sector and the farmers within, they may come up with innovative suggestions. They may come up with different patterns of farming. I think, it is a wonderful idea. But the prayer made is that the House urges the Government to come up with Agarwood Board of India. That Board should be empowered. Sir, 3-4 important points come out of this particular Resolution. The first is that you empower the farmers; secondly, the Resolution Mover has sought some kind of promotion of these products with the MSME. MSME is the backbone of our economy. If this backbone of economy is not strengthened, specially in the backdrop of demonetization and Covid--and right now they are struggling to survive at this point of time; if Agarwood Board makes it one of its objectives to promote this Agarwood farmers and sees that the counterpart MSMEs, on the other hand, buy their products, then it would shift the burden from wherever they are; they will come up. You will also see that the MSME sector also gets a boost by this measure. That is one point.

The second point, which nobody has touched, is the prayer that has been made by the Resolution Mover is that the Self Help Groups are one of the other backbones, which are coming up in the Indian economy. The Self Help Groups and cooperatives today are looking for some kind of credit facilities, some kind of hand-holding, some kind of support. If this Board is created, it would give a boost to these cooperatives and Self Help Groups in order to see that the products that come up are bought from the farmers

after the farming; it would go a long way. Maybe, it would take some time, but definitely it would build the economy in that particular sector.

The third thing which is most required is the one that is required of any Board, apart from the Agarwood Board. Sir, research and development takes a back seat in our country. I wish, when the Government thinks of forming this Agarwood Board, the Government will give sufficient investment and funds for research and development. Apart from that, it should give chance to young entrepreneurs whether they are StartUps or small companies. If these youngsters are given some kind of a role in the MSMEs or with the Self Help Groups or cooperatives, especially the women cooperatives, then it would go a long way. Then this Board would be able to do wonders.

I also would like to add to the Resolution of the hon. Member here. The Board composition should also be thought about. There should be experts because this is a new kind of a Board. There should be technical experts, more experts in order to see that the Board meets with the objects for which this is formed. The ultimate goal of empowering the farmers in that particular area will go a long way if the counterparts buy them and support them. When the farmers come up with their products, if there is nobody on the other side to promote their products, then we can't go a long way in the economic uplift of that particular area.

The fourth important point is that we are talking of innovation every day. The Government today has got many schemes that promote innovation. Who are the people who would promote these innovations? The farmers don't have the wherewithal or the knowledge, right now, of the upcoming projects or programmes which the Government have. I think, there should be some awareness programmes which the Board should conduct.

So, I am totally with the Resolution. I fully support the Resolution. This is one way of economic empowerment of a certain section of the people. Here, there are farmers. We should not forget that 50 per cent of India is totally dependant on agriculture. The other day I was talking about the global warming and I was talking about cropping patterns that need to be changed in the agricultural sector. Here, the word that is used is 'inter-cropping' by the Resolution Mover. It is one of the innovative ideas which will go a long way in fighting the global warming and going further in our goals for the sustainable development goals which are set internationally. There are too many multiple issues in this. It is not a simple Resolution.

I would, once again, congratulate the Resolution Mover for bringing this kind of a Resolution where there are multi-pronged approaches to a particular sector, empowering that sector which should be provided by the counterpart, the Government, whether State Governments or the Union Government or the Local Government. Sir, this Government should look into this when it comes before it. When the Board is formed, it should be manned by technical experts. They should know the knowhow. They should know what the region is about. They should know what the product is; how the product is going to be at the international market, if it is submitted so, and it should also try to find out whether such boards, where there are local products like this in the country, can be formed. We cannot just take examples of one or two successful boards, but we need to promote such boards wherever in India in order to see that these different sections of people get empowered economically. Economical empowerment goes along with educational empowerment and so the board should also have some kind of an awareness teaching programmes where education or knowhow or some kind of knowledge can be imparted to these people because we can't imagine that one farmer who just cultivates wheat would also know something about rice as well or something about agarwood as well. So, these kinds of specialized knowledge banks should be formed by the board and the board should be having a lot of investments, fund facilities and this would go a long way. Sir, often we miss out on making rules for these boards and that is why we somewhere crumble. Whatever regime or reign we have, whatever products we have in a particular area should be cashed in specifically by way of bringing knowledge, experience, technical knowhow into the sector. It is very easy to form a board, but unless and until the objectives are not met with, if there is no human power and if there is no human resources there, it will fail. Hence, I completely support the Resolution and I think the Government will come up with a proper formation of this board. We will see that the pharmas in that particular area, in the North-East region, are empowered both technically and economically and they have the knowhow in order to see that they function and they get economically empowered. This would be one of the wonderful steps if the Government takes up this Resolution positively and comes up with a Board. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. These were very good suggestions. Shri Kamakhya Prasad Tasa.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आप आगे बोल लीजिएगा। ...**(व्यवधान)**... यह इन्हीं के प्रांत का है। ...**(व्यवधान)**...

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम) **:** सर, मैं आपको और हमारे चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया।। ...**(व्यवधान)**... मैं बिप्लब देब जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे अगरवुड के विषय पर ऐसी चर्चा लेकर आए कि पूरा विरोधी पक्ष वहाँ पर लगा रहा। ...**(व्यवधान)**... इस अगरवुड को लेकर कम से कम हमारे विपक्ष के मेम्बर बहुत व्यस्त रहे। मैंने देखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं बिप्लब देब जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यह सिर्फ त्रिपुरा का ही मामला नहीं है, यह पूरे नॉर्थ-ईस्ट का मामला है, जहाँ पर यह अगरवुड एनडेन्जर्ड पोज़िशन में थी, अब ठीक हुई है। राकेश सिन्हा जी भी काफी लंबा बोले। ये कॉंस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। इन लोगों को कॉंस्टिट्यूशन की बात करने का मौका मिल जाएगा। मैं हमारे मेम्बर माननीय मनोज कुमार झा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाद में कभी कॉंस्टिट्यूशन की बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बार-बार अगरवुड की बात करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको कॉंस्टिट्यूशन की बात करने का मौका मिल जाएगा। वाइको जी तो किसी भी समय उठते रहते हैं, इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन अगरवुड की बात नहीं उठेगी। आपको पता है कि अगरवुड के पीछे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, जो दुबई तक फैला हुआ है। अगर दुबई, अरब में जाएंगे, तो वहाँ असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट के अगरवुड के तेल की बात उठती है। इसकी महंगाई के बारे में बिप्लब देब जी ने सही बताया है। पबित्र मार्गेरिटा जी, राकेश सिन्हा जी, सभी ने इसके बारे में ज़िक्र किया है। मैं चाहता हूँ कि एक तो इसका रेग्युलेटरी बोर्ड बने। बिप्लब जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें पता है कि यह सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं है, बल्कि पूरे असम में फैली हुई है। आप लोग जानते हैं कि पूरी रूरल इकोनॉमी इस पर टिकी हुई है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि असम में जो किताब लिखी गई थी, वह अगरवुड पेड़ की स्किन से लिखी गई थी। उसे Hasi Pator puthi बोलते हैं। वह अभी भी हमारे असम में मौजूद है। उसमें जो लिखा है, वह 500, 600 या 700 साल से अभी तक प्रोटेक्टेड है। जो अगरवुड का तेल है, इसका साइलेंटली बिज़नेस करने वाला एक ग्रुप है, जो असम में बड़े-बड़े पेड़ों को कम दाम में काटकर उनसे तेल निकालता है और फिर उसको बाहर लेकर जाता है। उसका नाम शायद ...**(व्यवधान)**... यह सही बात है। हमारे असम में वे लोग इसका पेड़ काटकर ले जाते थे, जिसको रेगुलेट करने के लिए असम गवर्नमेंट और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने देरगांव में इंटरनेशल अगरवुड मार्केट बनाया है, जिसमें इसके पौधे लगाने से लेकर इसका तेल निकालने तक की व्यवस्था की गई है।

सर, आप शायद यह जानते होंगे कि जिन एरियाज़ में इसका नैचुरल इन्क्यूबेशन नहीं होता है, उसके लिए रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट में एक रिसर्च हुई है और डा. राजीव वोरा नामक साइंटिस्ट के नेतृत्व में उसको आर्टिफिशियली इन्क्यूबेशन करने के लिए, जो फंगस है उसको डालने की व्यवस्था भी की गई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, वे भी अगरवुड लगाएँ, क्योंकि यह एन्डेंजर्ड पोज़िशन में है और इसकी संख्या जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है। लेकिन इसकी मार्केट काफी विस्तृत है और इसकी मार्केट को इंटिग्रेट किया जाए। यहाँ पीयूष गोयल जी

और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी, दोनों बैठे हुए हैं। मैं पंचायती राज मंत्री एवं उनके डिपार्टमेंट से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके पौधे को लगाने का जिम्मा पंचायत को देना चाहिए, ताकि हर जगह पर इसके पौधे लगें।

आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो टी गार्डन है, उसमें हमने 5 परसेंट लैंड डायवर्सिफिकेशन के लिए दी है। ऐसा ही बिप्लब जी के त्रिपुरा में भी है। अगर 5 परसेंट लैंड डायवर्सिफाई हो जाती है और उस 5 परसेंट लैंड में अगरवुड के पौधे लगाए जाते हैं, तो it will be more precious than chandan. चन्दन की तो तस्करी भी होती है, लेकिन कम से कम इसकी तस्करी नहीं होगी, क्योंकि इसके तेल निकालने की जो व्यवस्था है, वह बहुत सिस्टेमैटिक है और इसका तेल कोई भी इमीडिएटली नहीं निकाल सकता है। आप लोगों को चन्दन की तस्करी के बारे में पता है, लेकिन अगरवुड के तेल की तस्करी करने के लिए पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए एमएसएमई सेक्टर में इसकी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ भी लगाई सकती हैं। मैं इसके लिए बिप्लब जी को धन्यवाद देता हूँ।

जैसा कि कहा गया, यह बहुत ही पुराना पेड़ है, जिसको उगाने के लिए और उसे बड़ा करने के लिए ज्यादा लैंड नहीं चाहिए। मैं गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको विशेषकर पंचायती राज मंत्रालय और कृषि मंत्रालय एक मिशन मोड पर ले जाएँ। मुझे इस बात को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग गवर्नमेंट में नहीं थे, तब इसकी तस्करी ज्यादा होती थी, लेकिन अब इसके लिए धरपकड़ शुरू हो गई है। जो फॉरेस्ट सम्पदा है, इसको संरक्षण देने के लिए हमारी गवर्नमेंट और डा. हिमंत बिस्वा सरमा ने व्यवस्था की है।

वाइस चेयरमैन सर, इसके ऊपर एक रिसर्च भी होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर रिसर्च होगी, तो हम लोगों को यह पता चलेगा कि इसके क्या-क्या यूज़ेज़ हैं। अगर आप दुबई या अरब जाएँ, तो पता चलेगा कि वहाँ के लोग इसके तेल के लिए कितने चिन्तित हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि इसके ऊपर जो रिज़ॉल्यूशन लाया गया है, वह ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कि रिज़ॉल्यूशन क्यों लाना चाहिए, लेकिन ऐसे ही जब बिल्स बनते हैं, तो आप लोग हल्ला करते हैं और जब रिज़ॉल्यूशन पर चर्चा होती है, तब भी आप लोगों को आपत्ति है। **...(व्यवधान)...** इसके लिए असम के सिबसागर, जोरहाट, नगाँव और पूरे त्रिपुरा में इसकी व्यवस्था है। वहाँ की लैंड इसके लिए स्यूटेबल है। सरकार को भविष्य में इसे रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट (आरएफआरआई) को देकर इस पर रिसर्च करानी चाहिए तथा एमएसएमई सेक्टर में इससे जुड़ी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ भी स्थापित करनी चाहिए। सर, यहाँ ऑनरेबल पीयूष गोयल जी बैठे हैं। इनको भी पता है कि इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिज़ॉल्यूशन की बातों को ठीक से लागू करे और इसकी जो संख्या है, इसको बढ़ाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

वाइस चेयरमैन सर, आप जिस एरिया से आते हैं, वहाँ नैचुरल इन्क्यूबेशन नहीं होता है। नैचुरल इन्क्यूबेशन के लिए रिसर्च सिस्टम जो एक नया तरीका लाया है, वह साइंटिफिक इन्क्यूबेशन है। साइंटिफिक इन्क्यूबेशन में उसको बाहर से आर्टिफिशियली इन्क्यूबेट किया जाता है और फंगस डाला जाता है। उसके बाद जब इसका तेल निकाला जाता है, तो उस तेल का दाम भी महँगा ही होता है। यहाँ से बहुत कम दाम में तेल लेकर उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। असम में हम लोगों ने बहुत सी जगहों पर देखा है कि इस तेल के पैसे को फंडामेंटलिस्ट्स भी थोड़ा यूज़ करते हैं। वे कौन फंडामेन्टलिस्ट्स हैं, हम इसको डेफिनेट्ली बताएंगे। सबको पता है कि जो रिलीजियस

फंडामेन्टलिस्ट सिस्टम है, वह उसको भी कभी-कभी चला रहा है। इसको सीरियसली देखना चाहिए और मैं होम मिनिस्ट्री से भी आग्रह करूंगा कि जहां से तेल का पैसा आता है, उसको देखना चाहिए।

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Tasaji, it is 5 o'clock now.

Hon. Members, I have an important announcement to make.

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held today i.e., on the 16th of December, 2022, has allotted time for Government Legislative Business as follows:-

1. Consideration and passing of the Repealing and Amending Bill, 2022, after its introduction, consideration and passing by Lok Sabha.	**Two Hours**
2. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to following Demands, as passed by Lok Sabha:-	
(i) First Batch of Supplementary Demand for Grants for 2022-23; and	
(ii) Excess Demands for Grants for the year 2019-20	**Eight Hours (to be discussed together)**

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Members, the Private Member's Resolution remains inconclusive. Now, we will take up Special Mentions.